

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वॉशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12/11/2017 को स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तारा के मैदान में, तह.-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वॉशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एस. एन. राम, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 12/11/2017 को स्थान-शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तारा के मैदान में, तह.-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)में पूर्वान्ह 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जिला-सरगुजा एवं सूरजपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित परसा ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट- 5 एमटीपीए एवं पीट हेड कोल वॉशरी- 5 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 18.07.2017 एवं 21.07.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 04/08/2017 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर के पत्र दिनांक 07/10/2017 के द्वारा उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 12/11/2017, समय पूर्वान्ह 11:00 बजे, स्थान- शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, तारा के मैदान में, तह.-प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई. आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपालन में दिनांक 11.10.2017 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक भास्कर' एवं 'नवभारत' में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जनपद पंचायत, प्रेमनगर, जिला- सूरजपुर (छ.ग.) कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवापारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत- शिवनगर, तारा, अभयपुर एवं कांटारौली, तह.- प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.), कार्यालय डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू-तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री प्रकाश इसरानी, डिप्टी चीफ इंजीनियर द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपने सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका-टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं :-

1. **श्रीमती संपतिया सिंह, सरपंच, ग्रामपंचायत, ग्राम तारा**— गांव वालों के लिए विकास चाहती हूं। बस स्टैंड पर धूल से बच्चे लोग परेशान हैं वहां जल छिड़काव किया जाये। मेरे गांव को पूरा विकास हो, मूलभूत व्यवस्था का पूरा सहयोग दे। लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
2. **श्री अमरेश प्रसाद, मरकाम, सरपंच, ग्राम घाटबर्वा**— कौशल विकास किया जाये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करता हूं। हमारे घाटबर्वा के बच्चों के लिए बस की सुविधा की जाये। सहमति देता हूं।
3. **श्रीमती नरसीमा, ग्राम तारा**— हम लोगों को सहारा मिले। समर्थन करती हूं।
4. **श्रीमती रूनीसा, ग्राम तारा**—कोयला खदान का समर्थन करती हूं।
5. **श्री चंद्रभान सिंह, ग्राम तारा**—हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम बलिदान तो दे रहे हैं लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मूल रूप दिया जाये। कोल परिवहन हो रहा है स्कूल रोड पर है बच्चे डस्ट से प्रभावित हो रहे हैं जिससे निजात मिल सके। विकास के लिए हमको बल देना है। बेरोजगारों को मिल जायेगा इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है। समर्थन करते हैं।
6. **श्री रामदेव, ग्राम तारा**— खदान का समर्थन करते हैं।
7. **श्रीमती नसीम जहाँ, ग्राम तारा**— खदान का समर्थन करती हूं।
8. **श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम तारा**— अपने परसा गांव में रेल लाइन दौड़ के आ रही है। हमारे क्षेत्र वाहन सुविधा दी गई है। खदान खुलने से कोई आरक्षण परसेंट की बात नहीं है यदि जमीन फंसी है तो उसे नौकरी दी जाती है। वृद्धा पेंशन दी जा रही है। विकास होता है तो विनाश होना ही है। तहे दिल से जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
9. **श्रीमती गुलशन, ग्राम तारा**— खदान को समर्थन करती हूं।
10. **श्रीमती शबीना, ग्राम तारा**— हमारी कुछ मांग है, कुछ विकलांग, विधवा है, खदान की ओर से व्यवस्था की जाये। मैं समर्थन करती हूं।
11. **श्रीमती मैरून, ग्राम तारा**—खदान को समर्थन करती हूं।
12. **श्रीमती अगरबंती, ग्राम तारा**—खदान का समर्थन करती हूं।
13. **श्रीमती लैलूनिशा, ग्राम तारा**—खदान को समर्थन करती हूं।
14. **श्रीमती असिरवानी, ग्राम तारा**—खदान को समर्थन करती हूं।
15. **श्रीमती पुष्पा यादव, ग्राम परसा**—लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।

16. मो. जाफर, ग्राम तारा—अदानी कोल माईन की डस्ट से लोग परेषान है। रोड में सिंचाई की व्यवस्था की जाये। लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।
17. श्री मंगल साय, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।
18. कु. निराला, ग्राम परसा—अदानी का समर्थन है।
19. श्रीमती सरजहाँ निशा, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
20. श्रीमती कमला, ग्राम परसा—खदान को समर्थन करती हूं।
21. कु.चांदनी, ग्राम तारा— खदान का समर्थन करती हूं।
22. कु. रानी, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
23. श्रीमती फुलकुंवर यादव, ग्राम परसा— खदान का समर्थन है।
24. श्रीमती प्रमिला, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
25. श्रीमती रामबाई, ग्राम परसा— समर्थन करती हूं।
26. श्रीमती बिहानी बाई, ग्राम परसा— समर्थन है।
27. श्रीमती रुधनी बाई, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन है।
28. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन है।
29. श्री कृष्ण कुमार, ग्राम बासेन— खदान का समर्थन करता हूं।
30. श्री काशीप्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्गा— समर्थन है।
31. श्री नंदराम भगत, ग्राम तारा— खदान का समर्थन करता हूं।
32. श्री सबद अली, ग्राम तारा— लोकसुनवाई का समर्थन है।
33. श्रीमती हीरामती, ग्राम परसा— खदान का समर्थन करती हूं।
34. मो. सलीम, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
35. श्री पोर्ते, ग्राम चारपारा—समर्थन करता हूं।
36. श्री आत्माराम, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
37. श्रीमती सुघरमनी विश्वकर्मा, ग्राम परसा—कोयला खदान का समर्थन है।
38. श्रीमती घटमिन, ग्राम परसा— खदान का समर्थन है।
39. श्री आसिफ अली, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
40. श्रीमती बनस्पति, ग्राम परसा— कोयला खदान का समर्थन है।
41. श्री विजय, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
42. श्रीमती कविता सारथी, ग्राम परसा— समर्थन है।
43. मो.सकील, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
44. श्रीमती सुनीता सारथी, ग्राम परसा— खदान का समर्थन करती हूं।
45. श्रीमती सुकमनिया, ग्राम फत्तेपुर— खदान का समर्थन है।
46. श्री आशीष कुमार यादव, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
47. श्री लाल कृष्ण तिवारी, तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
48. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
49. श्रीमती बसंती, ग्राम तारा — अदानी का समर्थन है।
50. श्री हरीप्रसाद, ग्राम कांटारोली, सरपंच— हम लोग का पर्यावरण ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। जंगल है तो पर्यावरण है यह जंगल है हमें सब कुछ यहां मिलता है। जंगल से अनेको प्रकार के जीव जंतु के लिए चारा, रहने के लिए जगह मिलता है इसलिए मैं इस पर्यावरण जन सुनवाई का दिल के साथ विरोध करता हूं।
51. श्रीमती शांति मिर्रे, ग्राम तारा —खदान का समर्थन है।

52. श्रीमती लीलावती, ग्राम फतेहपुर — परसा खदान का समर्थन है।
53. श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा, ग्राम तारा— कोल ब्लॉक का समर्थन है।
54. श्रीमती बुधियारो, ग्राम फतेहपुर — खदान का समर्थन है।
55. श्री बृजमोहन लकड़ा, ग्राम शिवनगर — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
56. श्रीमती सैतु बिबी, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
57. श्री शिवमंगल सिंह, ग्राम पूटा— खदान का समर्थन है।
58. श्रीमती परमिली, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
59. श्री हसन खान, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
60. श्री कैलाश कुमार, ग्राम तारा— कोल माईस को समर्थन है।
61. श्रीमती शांति देवी गुप्ता, ग्राम तारा— कोल माईस को समर्थन है।
62. श्री धनसाय, ग्राम तारा—आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खाने की पर्याप्त मात्रा नहीं है। मंहगाई इतना बढ़ गया है कि गरीबों को पीछे छोड़ दिया गया है। बेरोजगारों को मंहगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। गरीबों पर ध्यान दिया जाय। समर्थन करता हूँ।
63. श्रीमती विरानी बीबी, ग्राम तारा — खदान को समर्थन है।
64. श्री सोनकुंवर, ग्राम फतेहपुर — खदान को समर्थन है।
65. श्री सरफराज, ग्राम तारा— खदान को समर्थन है।
66. श्रीमती तुलसी बाई, ग्राम फतेहपुर— खदान को समर्थन है।
67. श्री संतराम, ग्राम परोगिया — हमारे दवा की व्यवस्था हो। समर्थन है।
68. श्रीमती संगीता, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई का विरोध है।
69. श्री इसरार खान, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
70. श्रीमती सुनीता सिंह, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
71. श्री साबिर अली, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
72. श्री मानिक अली, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
73. श्रीमती सीता यादव, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
74. श्री इरफान खान, तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
75. श्री धनसाय राम, पुटा— खदान का समर्थन है।
76. श्रीमती रेखा, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
77. श्री चेतन स्वामी, ग्राम पूटा— स्कूल के बच्चों को बस की सुविधा दी जाये। समर्थन है।
78. श्रीमती संतरा बाई, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
79. श्री मुमताज खान, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
80. श्रीमती पुष्पा, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
81. श्री फूल सिंह, पुटा— जन सुनवाई का समर्थन है।
82. कुमारी पूनम, फतेहपुर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
83. श्री बालसाय करियाम, ग्राम हरिहरपुर, जनपद सदस्य जनपद पंचायत उदयपुर — लोक सुनवाई का पूरा पूरा विरोध करता हूँ। क्योंकि ग्राम हरिहरपुर, फतेहपुर, घाटबर्वा, साल्ही का कुछ हिस्सा जाता है जिससे कि पुरा पुरा हरिहरपुर विस्थापन होगा। आज की लोकसुनवाई निरस्त की जाये। बासेन में दिनांक 29.10.2017 को मौखिक एवं लिखित में जानकारी चाही उसका जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। ई.आई.ए. रिपोर्ट में भादों महीना में करम देव का पूजा करते हैं

उसका जिक्र आपने नहीं किया है यहां से 02 किमी. उत्तर में बूढ़ा देव का स्थान है जो इस क्षेत्र के निवासीयों को आर्शिवाद देता रहता है। कोर जोन और बफर जोन में जंगली बिल्ली है, हाथी है और मोर है उसका भी जिक्र नहीं किया। हमारी संस्कृति का विधिवत तरीके से उल्लेख नहीं किया। यहां साल्ही में सहमति नहीं हुआ है। यहां पेषा एक्ट लागू है। जनजातीय क्षेत्र में अत्याचार हो रहा है। न ही ग्राम सभा से सहमती ली गई है और न ही पंचायत सभा से सहमती ली गई है। आप लोग कंपनी के हित में काम कर रहे हैं इसलिए जन सुनवाई खारीज किसा जाना चाहिए। हमारे साथ खिलवाड़ है ये बरदास्त नहीं होगा। इस जन जातीय क्षेत्र में शोषण अत्याचार बढ़ने लगा है। नदी में गंदा पानी जाता है कितने पशु मर गये आपने कुछ नहीं किया। स्वीकृति में लिखा है कि रिजेक्ट कोयला यहीं खपत किया जायेगा लेकिन बाहर भेजा जा रहा है। आदिवासियों को गुमराह किया जा रहा है। इसकी जांच होना चाहिए कि रिजेक्ट कोयला कहा जाता है। भोलाराम की मौत एक्सीडेंट में हुई उसे कितना मिला, 25-26 लाख मिलना था और उसके घरवालों को नौकरी मिलनी थी। कमाई को गांव की जनता को एरियर्स के रूप में देना चाहिए लेकिन क्यों नहीं कर रही है सरकार? अदानी कर रही है? आज तक सी.एस.आर. का हिसाब ग्रामसभा में पेश नहीं होता है। सी एस आर का हिसाब ग्रामसभा में पेश करना चाहिए। क्या लोकतंत्र है? यहां के लोग अपना अधिकार नहीं समझते हैं। आदिवासी यहां के आपके आने से सुरक्षित नहीं हैं। आप गुट कर रहे हो। यदि आप प्रेम से उनकी स्थिति को जानते तो ये भी सहयोग करते। कलेक्टर के पास हमने 29 बिंदुओं पर मांग की थी। उन्होंने उसे किनारे रख दिया। यदि आप विकास करते इस क्षेत्र के लोग सहयोग देते लेकिन आप विकास नहीं कर रहे। जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए। 900 फीट कोयला और है आदिवासीयों के साथ रंजीस कर रहे हैं। कोरबा, अंबिकापुर, रायपुर का विकास कर रहे हो। अगर तारा की गाड़ी लगती तो इस क्षेत्र का विकास होता लेकिन यू.पी. की गाड़ी लगी है। क्या विकास हो रहा है, आपने कभी सर्वे किया? कितने बेरोजगार हैं, आपने कभी सर्वे किया? स्कूल में भोजन बनाने वालों को ठेका दिया गया है क्या साल्ही, परसा, घाटबर्ग वाले ठेका नहीं ले सकते? जन सुनवाई क्या है किसी ने नहीं समझा इसको अंग्रेजी में बनाया गया है यहां के लोग सरगुजीहा है, आदिवासी है छत्तीसगढ़ी समझते हैं। आपके अंग्रेजी के 70 पेज प्रिंसिपल को नहीं समझते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा में बनाना था। आदिवासियों को धान का बोनस मिलेगा। परसा के गांव का धान खतम हो गया, तेन्दुपत्ता खतम हो गया तो क्या उनको एरियर्स मिलेगा? यह प्रक्रिया अन्याय है। कंपनी शोषण कर रही है। लीज ही खतम कर देना चाहिए शासन को इतना शोषण कर रही है। अगर विकास चाहती है तो जनता को एक साथ लेकर चलना चाहिए था। इनके पास जाकर इनको संपर्क करना चाहिए था। आप विकास करोगे मुझे विश्वास नहीं है 6 साल बित गये हैं आपने विनाश ही किया है। हमारे क्षेत्र के पेड़-पौधों को आपने काटा इस कारण 40 से 45 डिग्री गर्मी बढ़ गई है। लोग घर में सो नहीं सकते इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। जो पेड़ आप लगाये हो वो यहां के अनुरूप नहीं है, आपको गांव के 70 लोगों से पूछना था कि आपके क्षेत्र में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। गांव वालों से पूछना चाहिए था। आपने किससे राय लिया करोड़पतियों

से राय लिया और जनता का शोषण किया। कही भी हमारे भाई सुरक्षित नहीं है। केते की बसाहट 120 घर थे लेकिन वहा बस 10-12 परिवार रह रहे है। बाल बच्चो वाले कोई वहा नहीं रह रहे है। परसा केते के लोग भटक रहे है आपने कोई सहायता किया क्या? वो लोग लकड़ी बेचकर जीवन जी रहे है। घने जंगल है, जड़ी-बुटीयों से परिपूर्ण है। जन सुनवाई निरस्त हो। ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्या लिखा है किसी भी सरपंच ने नहीं पढ़ा है। जंगल में एक बेल का पेड लिखा गया है क्या पूरे जंगल में एक ही पेड है। जन सुनवाई निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि आप धोखाबाज सरकार हो। आप सी.एस.आर. की जिम्मेदारी नहीं निभाते हो। जहा पा रहे है वहा पैसा फेक रहे है। आदिवासी कैसे विकास करेंगे इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। आपने ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिखा है 5 पट्टी वाली गिलहरी 5 नग है कोई विश्वास करेगा? कोर जोन में 5 चुहा और बफर जोन में 5 चुहा बताया गया है इस पर विष्वास नहीं हुआ, मेरे घर में सैकड़ों चुहें है। आपने जंगली बिल्ली 1 लिखा है, आपने कंपनी को फायदा देने के लिए षडयंत्र रचा है। जन सुनवाई खारिज होना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना था तो पहले जनता से आकर मिलना था, जिसका एक भी जमीन नहीं था उसको पकड़ के जमीन का शोषण कर रहे हों। ये गलत है जमीन वाले भुखों मर रहे है। जो कंपनी जनता का साथ नहीं देता है ऐसी कंपनी का लीज रद्द होना चाहिए। किसी भी जन प्रतिनिधि ने ई.आई.ए. रिपोर्ट नहीं पढ़ा है केवल समर्थन दिया है। हत्या क्यों कर रहे हो, कम से कम पलट कर पढ़ो क्या लिखा है। यहा का रिजेक्ट कोयला यही उपयोग होना चाहिए। जो मैंने मौखिक और लिखित में बासेन में दिया था, आपके वचन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतोषप्रद जवाब आपने नहीं दिया। इसलिए मेरा घनाघोर विरोध है। इस जन सुनवाई का घनाघोर विरोध है।

84. श्रीमती प्रमिला, ग्राम फतेहपुर — मैं समर्थन करती हूँ।
85. श्रीमती बसंती, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
86. श्रीमती बिगुनिया, ग्राम फतेहपुर — मैं समर्थन करती हूँ।
87. श्री शिव शंकर, ग्राम पूटा— जन सुनवाई का समर्थन है।
88. श्री रमातुल्ला, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
89. श्रीमती कलावती कुर्रे, ग्राम घाटबर्गा — मैं समर्थन करती हूँ।
90. श्रीमती यासमिन, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
91. श्रीमती जुबैदा, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
92. श्री नवल साय, सरपंच ग्राम कांटारोली— लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ क्योंकि परसा केते में बहुत नुकसान होना है जिसमें पर्यावरण सबसे ऊपर है। कोल माईंस का जो क्षेत्रफल है उसमें वन क्षेत्रफल ज्यादा है और गांव के किसानों का कृषि भूमि वो अधिकतर जा रहा है। उसमें सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि है। वो हमेशा के लिए खतम हो जायेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात इस जंगल में अनेक वन्य जीव है इनमें से बहुत ही कम ई.आई.ए. रिपोर्ट में बताया गया है। अदानी के लोग झुठ बोलकर स्वीकृति लेना चाहते है क्या? पानी का संकट है, अगर पानी और हवा न मिले तो हम कितना भी विकास कर ले हम ऐसे ही मर जायेंगे विकास किसी काम का नहीं है। यदि भू-जल, नदी, नाला, झरना खतम हो जाये तो क्या अदानी सबको पानी

देगी। शासन के द्वारा जल स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे स्ट्रकचर बनाये जा रहे हैं, खदान खुलने से सब खतम हो जायेगा। पानी का संकट आने वाला है इसलिए मैं इस जन सुनवाई का घोर विरोध करता हूँ। बिना हवा के कोई नहीं जी सकता है वो वहा ही प्रदूषित हो रहा है। क्या दिल्ली जैसा प्रदूषित क्षेत्र बनाना चाहते हैं? हम ऐसा हाने नहीं देंगे इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। ई.आई.ए. में एक ही नाली दिखाया गया है जो अटेम नदी दिखाया गया है। क्या तारा, घाटबर्रा, परसा केते में नाला नहीं है? उन नालों को ई.आई.ए. रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया है? यह आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहा पेशा कानून लागू है। उसके अनुसार ग्रामसभा से अनुमती नहीं लिया गया है। जो अनुचित है इसलिए यह कार्यवाही निरस्त होना चाहिए।

93. श्री मनियार सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही —अदानी को समर्थन करता हूँ।
94. श्री कमलेश यादव, ग्राम घाटबर्रा— हमारे बी.डी.सी. महोदय की हर बात का विरोध करता हूँ। जन प्रतिनिधी होते हुए वन अधिकार का पैसा ले लिया मुआवजा ले लिया। मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
95. श्रीमती सुकमेन राजवाड़े, ग्राम परसा— मैं समर्थन करती हूँ।
96. श्रीमती सलमा, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
97. श्रीमती बुधनी बाई, ग्राम परसा— मैं समर्थन करती हूँ।
98. श्रीमती जेती, ग्राम परसा— मैं समर्थन करती हूँ।
99. श्रीमती पिपरो बाई, ग्राम परसा—लोक सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
100. श्रीमती राजमति, ग्राम परसा — मैं खदान समर्थन करती हूँ।
101. श्रीमती खुशनुमा परविन, ग्राम तारा — मैं समर्थन करती हूँ।
102. श्रीमती रामसिला, ग्राम तारा— अदानी समर्थन करती हूँ।
103. श्रीमती सीमा सोनी, ग्राम परसा— मैं समर्थन करती हूँ।
104. श्रीमती सावित्री, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
105. श्री जय राज चौहान, ग्राम परसा — मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
106. मो. हुसैन, ग्राम तारा— लोकसुनवाई का समर्थन करता हूँ, और पूरा तारा गांव समर्थन करता है। बिजली, पानी सब कुछ मिल रहा है अदानी से यहां । सबको अदानी नहीं दे सकता, जो छूटता है, वो विरोध करता है।
107. श्रीमती असगरी, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
108. श्रीमती सनेमिर गुमगा, ग्राम तारा— मैं समर्थन करती हूँ।
109. श्रीमती उर्मिला, ग्राम डांडगांव— मैं समर्थन करती हूँ।
110. श्री दीप नारायण यादव, ग्राम घाटबर्रा— जन सुनवाई का समर्थन है।
111. श्री शिवाराम, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन है।
112. श्री गवाराम, ग्राम परोगिया—जमीन का पट्टा होना चाहिए। समर्थन है।
113. श्रीमती ईरीना खेस, ग्राम शिवनंदनपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
114. श्रीमती सुनीता एक्का, ग्राम गुमगा — जन सुनवाई का समर्थन है।
115. श्रीमती पटांगो चौबे, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
116. श्रीमती सावित्री, ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन है।
117. श्रीमती ममता चौबे, ग्राम फतेहपुर, — जन सुनवाई का समर्थन है।
118. श्रीमती सावित्री बाई, ग्राम फतेहपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
119. श्रीमती रमिया, ग्राम घाटबर्रा— लोक सुनवाई का समर्थन है।

120. श्रीमती रामपति, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
121. श्री टीपु सुलतान, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
122. श्री राजमनि यादव, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
123. श्रीमती पेगीवेली, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
124. श्री सुनीता, ग्राम परसा—समर्थन है।
125. श्रीमती ललिता कुर्रे, घाटबर्वा—समर्थन है।
126. श्रीमती गनपति बाई, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
127. श्रीमती रतई, ग्राम परसा—अदानी पानी नहीं देता है।
128. श्री उदयभान, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
129. श्री विजय, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
130. श्रीमती चमदिन बाई, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
131. श्रीमती समती बाई, ग्राम परसा— कोयला खदान का समर्थन है।
132. श्रीमती कांतिबाई, ग्राम परसा—समर्थन है।
133. श्रीमती हलकी बाई, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
134. श्री प्रमोद, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
135. श्री काशीराम, ग्राम बासेन — अदानी कंपनी द्वारा गांव—गांव में दवाई बांटी जाती है। केते गांव के लोग घर बना लिये है एवं ईज्जत से नौकरी कर रहे हैं। समर्थन करता हूं
136. श्री बाबूराम, फतेहपुर— समर्थन करता हूं। पानी की आवश्यकता है।
137. श्रीमती मीना, ग्राम सुस्तम— लोक सुनवाई का समर्थन है।
138. श्रीमती अरुलनमिशा, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
139. श्रीमती तिलमेत, ग्राम सुस्तम— लोक सुनवाई का समर्थन है।
140. श्रीमती सबनम, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
141. श्रीमती,जरीना बानो, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
142. श्रीमती मोरबानो, ग्राम तारा— समर्थन है।
143. श्री तारकेश्वर यादव, ग्राम परसा—समर्थन
144. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
145. श्रीमती सुनीता, ग्राम परसा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
146. श्रीमती रमिता, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
147. श्रीमती सुर्मिला, ग्राम सुस्तम— लोक सुनवाई का समर्थन है।
148. श्रीमती दिलमतिया बाई, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
149. श्रीमती कांतिलता, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
150. श्री रंजीत सिंह, ग्राम सलका— लोक सुनवाई का समर्थन है।
151. मो. सनाउल्ला, तारा—समर्थन करता हूं, यहा अदानी की तरफ से कोचिंग सेंटर होना चाहिए ।
152. श्रीमती प्रमिला, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
153. श्रीमती बंधानो बाई, ग्राम सुस्तम— अदानी का समर्थन करती हूं।
154. श्रीमती बीना, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
155. श्रीमती गंगोत्री, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
156. श्रीमती हीरामनी, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
157. श्रीमती रेश्मा, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।



158. श्री सनूराम, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
159. श्री शहनाज अंसारी, ग्राम तारा — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
160. श्रीमती मीरा बाई, ग्राम सुस्तम — जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
161. श्रीमती जागृति, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
162. श्रीमती रामातिल्ली, ग्राम जनार्दनपुर— जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
163. श्री टकेश्वर यादव, ग्राम परोगिया — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
164. श्री सशील यादव, ग्राम गुमगा— इस कोल कंपनी का समर्थन है।
165. श्रीमती बसंतीबाई, ग्राम सुस्तम— समर्थन है।
166. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम जनार्दनपुर — इस कोल कंपनी का समर्थन है।
167. श्रीमती कैलासो, ग्राम जनार्दनपुर— अदानी का समर्थन है।
168. श्री शांति, ग्राम जनार्दनपुर— अदानी का समर्थन है।
169. श्री मनोज प्रजापति, ग्राम परसा— इस कोल कंपनी का समर्थन है।
170. श्री रेवतीरमन, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन है।
171. श्रीमती भोली पैकरा, ग्राम सुस्तम— अदानी का समर्थन है।
172. कु. नीतु पैकरा, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
173. श्री अलहित राम, ग्राम घाटबर्बा— अदानी का समर्थन है।
174. श्री अवधेश कुमार यादव, ग्राम परसा— कोल माईन का समर्थन है।
175. श्रीमती प्रमिला, ग्राम सुस्तम— कोल माईन का समर्थन है।
176. श्रीमती बधानो, ग्राम सुस्तम— कोल माईन का समर्थन है।
177. श्रीमती लीलावती, ग्राम जनार्दनपुर— समर्थन है।
178. श्रीमती पुजा, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
179. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
180. श्री राजेश कुमार यादव, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
181. श्री अज्जू प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
182. श्रीमती फूल बाई, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
183. श्रीमती फुलबसिया, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
184. श्रीमती फुलमनिया, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन है।
185. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम जनार्दनपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
186. श्रीमती दिलोबाई, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
187. श्री दीपक कुमार यादव, ग्राम घाटबर्बा— अदानी का समर्थन है।
188. श्री ओमप्रकाश यादव, ग्राम घाटबर्बा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
189. श्रीमती संगीता, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
190. श्रीमती बिरछा बाई, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
191. श्रीमती सुहानाबाई, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
192. श्रीमती भुनेश्वरी, ग्राम उदयपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
193. श्रीमती जगरमती, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
194. श्रीमती जागृति, ग्राम फतेहपुर— अदानी को पूर्ण समर्थन है।
195. श्री संत विलास यादव, ग्राम घाटबर्बा— मैं इस कोल संस्थान को समर्थन करता हूँ। मेरा भूमि तारा व घाटबर्बा मे भी है। ग्राम घाटबर्बा वालो को आज का रेट दिया गया है। मैं समर्थन करता हूँ।
196. श्री नारायण प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्बा— जन सुनवाई का समर्थन है।

197. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम उदयपुर— कोयला खदान का समर्थन है।
198. श्रीमती संतोषी कुर्रे, ग्राम घाटबर्ग — अदानी को समर्थन है।
199. श्रीमती लक्ष्मीबाई, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन है।
200. श्रीमती बंधानो बाई, ग्राम उदयपुर— अदानी को समर्थन है।
201. श्री संतोष यादव, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन है।
202. श्री देवराज यादव, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन है।
203. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्ग— अदानी को समर्थन है।
204. श्रीमती सोना बाई, ग्राम उदयपुर — अदानी को समर्थन है।
205. श्रीमती संगीता, उदयपुर — अदानी को समर्थन है।
206. श्रीमती रतिहारो, ग्राम घाटबर्ग — अदानी को समर्थन है।
207. श्रीमती लक्ष्मी, ग्राम घाटबर्ग — अदानी को समर्थन है।
208. श्रीमती विमला, ग्राम घाटबर्ग — अदानी को समर्थन है।
209. श्री मुकेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
210. श्री राजेश, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
211. श्री इतवार साय, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
212. श्री भगमनिया, ग्राम तारा— समर्थन है।
213. श्रीमती दुर्गा, ग्राम उदयपुर— समर्थन है।
214. श्रीमती संगीता, ग्राम घाटबर्ग— जन सुनवाई का समर्थन है।
215. श्रीमती संतोषी, ग्राम उदयपुर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
216. श्रीमती अन्नपूर्णा यादव, ग्राम परसा— समर्थन है।
217. श्री कल्याण सिंह, ग्राम घाटबर्ग— समर्थन है।
218. श्री धनाराम, ग्राम घाटबर्ग— समर्थन है।
219. श्रीमती कलावती, ग्राम सुस्तम—कोल खदान का समर्थन है।
220. श्रीमती सितारो, ग्राम उदयपुर—अदानी का समर्थन है।
221. श्रीमती पंटोरी, ग्राम उदयपुर— अदानी का समर्थन है।
222. श्रीमती सुनीता, उदयपुर— समर्थन है।
223. श्री हरिप्रसाद, ग्राम परोगिया— समर्थन
224. श्री संदीप, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
225. श्रीमती भाना, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
226. श्रीमती रमनबाई, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
227. श्रीमती सुशीला बाई, ग्राम उदयपुर— समर्थन है।
228. श्रीमती गीता, ग्राम उदयपुर— समर्थन है।
229. श्री सुरेश, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
230. श्री तुलेश्वर सिंह पैकरा, ग्राम घाटबर्ग— समर्थन है।
231. कु. तुलसी, ग्राम उदयपुर — कोल खदान को समर्थन है।
232. श्रीमती लीलावती, ग्राम उदयपुर — खदान को समर्थन है।
233. श्रीमती कलावती, ग्राम उदयपुर — खदान को समर्थन है।
234. श्रीमती मसीनो, ग्राम तारा — अदानी को समर्थन है।
235. श्री शिव प्रसाद, ग्राम परोगिया— अदानी को समर्थन है।
236. श्री नानदेव, ग्राम घाटबर्ग — अदानी को समर्थन है।

237. श्रीमती मानकुंवर, ग्राम साल्ही — मै माता पिता की जमीन की सुनवाई नहीं हो रहा है।
238. श्रीमती सुमरित, ग्राम उदयपुर — कोल खदान को समर्थन है।
239. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम उदयपुर — कोल खदान को समर्थन है।
240. श्रीमती राजेश्वरी, ग्राम सुस्तम — लोक सुनवाई का समर्थन है।
241. कु. सविता खांडेकर, ग्राम डांडगांव — लोक सुनवाई का समर्थन है।
242. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
243. श्री खिलावन सिंह, ग्राम सुस्तम — जन सुनवाई का समर्थन है।
244. श्रीमती कविता दास, ग्राम उदयपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
245. श्रीमती कुंती यादव, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
246. श्रीमती सरई बाई, ग्राम सुस्तम — जन सुनवाई का समर्थन है।
247. श्रीमती हुसैन बाई, सुस्तम— समर्थन है।
248. श्रीमती इस्लामो, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
249. श्री मस्तराम कुरे, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
250. श्री बुधराम सिंह, ग्राम सुस्तम— लोक सुनवाई का समर्थन है।
251. श्रीमती सुकमनिया बाई, ग्राम परोगिया — जन सुनवाई का समर्थन है।
252. श्रीमती चंपा बाई, ग्राम परोगिया — जन सुनवाई का समर्थन है।
253. श्रीमती शकुतला, ग्राम उदयपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
254. श्रीमती रचना दास, ग्राम उदयपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
255. श्रीमती कुन्नुबाई, ग्राम उदयपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
256. श्री दुर्योधन सिंह, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन है।
257. श्री हरिलाल, ग्राम घाटबर्वा— जन सुनवाई का समर्थन है।
258. श्रीमती पियारो बाई, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
259. श्रीमती केंदी बाई, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन है।
260. श्रीमती सुकवारो, ग्राम परोगिया —परसा केते खदान खुलने से गरीबों को सहायता हई है। समर्थन है।
261. श्रीमती सुमरी बाई, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
262. श्रीमती तिलासों, ग्राम परोगिया— अदानी का समर्थन है।
263. श्रीमती रत्नी, ग्राम परोगिया — अदानी का समर्थन है।
264. श्री धनसाय, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
265. श्री जुगेश्वर प्रसाद पाण्डे, ग्राम घाटबर्वा—मुआवजा ले चुके लोग ही विरोध कर रहे हैं क्यों वो अपनी जमीन दे चुके हैं। लोग दोहरी नीति अपने रहे हैं। महिला सशक्तीकरण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य के विकास हेतु अदानी कंपनी काम कर रही है। आज इस लोकसुनवाई का समर्थन है।
266. श्री जुगेश्वर चौधरी, ग्राम घाटबर्वा— लोक सुनवाई का समर्थन है।
267. श्रीमती सुकंतीया यादव, ग्राम परोगिया— खाना पीना कुछ नहीं मिला है। खाना पीना मिलना चाहिए।
268. श्रीमती सनीरो, ग्राम परोगिया— खेती बाड़ी नहीं है।
269. श्रीमती विमला, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई का समर्थन है।
270. श्रीमती भगवती सिंह, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
271. श्री राम निवास, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।

272. श्री भुनुर साय, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
273. श्रीमती नजराना, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
274. श्रीमती असीना सिद्दीकी, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
275. नुरैसा अंसारी, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
276. श्रीमती सुकवारो, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
277. श्रीमती सनमतिया चौधरी, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई को सम्पर्क करते हैं।
278. श्रीमती बिरहुलिया, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई को सम्पर्क करते हैं।
279. श्रीमती रूपनी, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।
280. श्री कृष्णकांत यादव, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।
281. श्री राधे कृष्ण यादव, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।
282. श्री रतीराम, ग्राम घाटबर्वा —अदानी को सम्पर्क करते हैं।
283. श्री ठाकुरराम, ग्राम परोगिया—जन सुनवाई का समर्थन है।
284. श्री नारायण प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्वा — तारा जिला का त्रिकोणिय जगह है। हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। शासन के पास इतना संसाधन नहीं है। किसी कंपनी को ही रोजगार देना होगा। अदानी के आने से इस क्षेत्र का विकास होगा यह हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है। अदानी के अच्छे कार्यों में अनेक प्रकार के विध्न बाधाये डाली जा रही है। अदानी के द्वारा यहाँ के लोगों का हित किया जा रहा है। समर्थन है।
285. श्री भुनेश्वर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
286. श्रीमती परमेश्वरी — समर्थन है।
287. श्रीमती तिलासो, ग्राम जरगा — समर्थन है।
288. श्री धनसाय, ग्राम परोगिया — अदानी को समर्थन है।
289. श्रीमती मंगली, ग्राम उदयपुर — परसा खदान को समर्थन है।
290. श्री भोलाराम, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।
291. श्री धनीराम, ग्राम परोगिया — कोल खदान को समर्थन है।
292. श्रीमती संगीता, ग्राम डांडगांव — कोल खदान को समर्थन है।
293. श्री आशाराम, ग्राम घाटबर्वा — कोल खदान को समर्थन है।
294. श्री प्रेमनाथ यादव, ग्राम परोगिया— जन सुनवाई को समर्थन है।
295. श्रीमती सांझोराम, ग्राम डांडगांव — जन सुनवाई को समर्थन है।
296. श्री शैलेन्द्र कुमार, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई को समर्थन है।
297. श्री परशुराम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
298. श्रीमती पुष्पा, ग्राम बासेन —समर्थन है। हमारे गांव में हर एक को नौकरी मिलना चाहिए।
299. श्रीमती सामबाई, ग्राम डांडगांव — खदान को समर्थन है।
300. श्री मसतराम, ग्राम घाटबर्वा — खदान को समर्थन है।
301. सहबानो अंसारी, ग्राम तारा — खदान को समर्थन है।
302. श्री संतोष, ग्राम परसा —खदान को समर्थन है।
303. श्री मेहंदी लाल, ग्राम चंदननगर —सबसे पहले बिंदु रखना चाहता हूँ। सबसे पहले यह जो ई.आई.ए. ड्राफ्ट बनाया गया है वह अधूरा है। ई.आई.ए. रिपोर्ट को स्थानीय भाषा में नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जन सुनवाई व प्रस्ताव पास कराने के लिए स्थानीय भाषा में ड्राफ्ट होना चाहिए। चूंकि पूरा

का पूरा ड्राफ्ट अंग्रेजी में बना है स्थानीय लोग इसे समझ नहीं पाये हैं। इसलिए ये जन सुनवाई निरस्त करने योग्य है। पर्यावरण मंत्रालय का रिपोर्ट है कि जहाँ कहीं भी 425 प्रति हेक्टेयर से ज्यादा पेड़ पौधे पाये जाते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह जन सुनवाई उस कानून के भी खिलाफ है इसलिए यह निरस्त किया जाना चाहिए। हमारे कम्पार्टमेंट में 425 से ज्यादा पेड़ पाये जाते हैं। जितना भी प्रस्तावित क्षेत्र है उसमें 67 प्रतिशत वन क्षेत्र आता है। लाखों पेड़ पौधे यहाँ नष्ट हो जायेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह हरियाली क्षेत्र है। यह वन बाहुल संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे उद्योग नहीं लगना चाहिए। एनजीटी के द्वारा इस क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित किया गया है। यदि नो गो क्षेत्र से किसी को अलग किया गया है तो वह परसा केते को अलग किया गया है। न की तारा एरिया को किया गया है। इसलिए भी मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। यदि एयर का डिस्टेंस ले 10 किमी तो वहाँ के लोगों को बताया ही नहीं गया है। जब तक सभी क्षेत्रों के लोगों को बताया नहीं जाता इस तरह का जनसुनवाई करना अवैध है। यह पेशा क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। ई.आई.ए. रिपोर्ट सरल भाषा में नहीं है। फार्म 1 सही तरीके से नहीं भरा गया है। यहाँ पर पूरे विश्व के पर्यावरण के बारे में बात हो रही है न की मुआवजे को लेकर। अदानी वाले सबको खरीद लिये हैं। यहाँ कोई पर्यावरण की बात नहीं हो रही है। वनस्पति की जानकारी पूरी तरह से गलत है। बासेन में जो बताया गया था रिपोर्ट के बारे में वो गलत है। ये लोग कहते हैं कि इस रिपोर्ट को दिल्ली के पर्यावरण विभाग ने बनाया है। हम कहते हैं इस पर सील लगवा दीजिए की दिल्ली सरकार ने इस रिपोर्ट को बनाया है तो हम उनको बोलेंगे आपको नहीं बोलेंगे। कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका टेक्निकल असेसमेंट होता है। इस कोयला खदान का ब्लू प्रिंट नहीं है। आप ये तो बताये की आप इस क्षेत्र को क्या देने वाले हैं यहाँ के लोगों को क्या देने वाले हैं। यहाँ पर वन अधिकार कानून 2006 लागू है। सारे गाँव में अभी तक वन अधिकार के प्रकरण लंबित हैं। जब तक सभी प्रकरण का निराकरण नहीं होता है तब तक वहाँ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मैं जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।

304. श्रीमती लीलावती, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे भटक रहे हैं उन्हें रोजी रोटी की जरूरत है उन्हें रोजी रोटी दिया जाये।
305. श्री महेन्द्र, ग्राम डांडगांव — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
306. श्रीमती बरमनिया, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
307. कु. साधना, ग्राम डांडगांव — समर्थन है।
308. श्री बाल सुग्रीव, ग्राम केदमा — कोयला माईन को समर्थन है।
309. श्री बालमुकुंद, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
310. कु. लीला यादव, ग्राम गुमगा — अदानी को समर्थन है।
311. श्री सुरज लकड़ा, ग्राम गुमगा — लोक जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
312. श्रीमती लक्ष्मनिया बाई, ग्राम गुमगा — समर्थन है।
313. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम तारा — जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
314. श्रीमती जुबली बाई, ग्राम जर्नादनपुर — अदानी को समर्थन करती हूँ।

315. श्री देवनारायण, ग्राम जरहाडांड — जनसुनवाई का समर्थन करता हूं।
316. श्री तुलाराम, ग्राम जरहाडांड — मैं जनसुनवाई का समर्थन करता हूं।
317. श्रीमती रतना बाई, ग्राम गुमगा — समर्थन है।
318. कु. सीमा, ग्राम सैदू — समर्थन है।
319. श्री मोहितराम, ग्राम मुंडगांव — अदानी को समर्थन करता हूं।
320. कुमारी उर्मिला, ग्राम सैदू — कोयला खदान का समर्थन करती हूं।
321. श्री प्रदीप कुमार यादव, ग्राम चक्रेरी — अदानी को समर्थन करता हूं।
322. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम परसा — अदानी खदान का समर्थन है।
323. श्री परदेसी, ग्राम जरहाडांड — खदान का समर्थन करता हूं।
324. श्रीमती समीरा, ग्राम परसा — सम्पर्क है।
325. श्री जनसाय खुसरो, ग्राम मुंडगांव — अदानी कोल माईन को समर्थन करता हूं।
326. श्रीमती गुलबती यादव, ग्राम गुमगा — अदानी का समर्थन है।
327. श्री प्रेमसाय, ग्राम मुंडगांव — जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
328. कु. चंद्रवती महंत, ग्राम डांडगांव — जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
329. श्री बिरजु, ग्राम जरहाडांड — जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
330. श्रीमती मुनियारो, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
331. श्री गरजन, ग्राम जरहागांव — अदानी को समर्थन है।
332. श्रीमती मानकुंवर, ग्राम सैदू — समर्थन है।
333. श्री सेवक राम हरिजन, ग्राम घाटबर्बा— कोल माईन को समर्थन कर रहा हूं।
334. श्रीमती सुखमनिया, ग्राम सैदू — समर्थन है।
335. श्री मंगल राम, ग्राम डांडगांव — कोल खदान को समर्थन है।
336. श्रीमती रूकमनिया, ग्राम सैदू — परेशान है।
337. श्री दुबेराम, ग्राम घाटबर्बा — मैं कोयला खदान का समर्थन कर रहा हूं।
338. श्री चंदरराम, ग्राम डांडगांव —कोल माईन का समर्थन करता हूं।
339. श्री जय सिंह, ग्राम परसा— परसा कोल माईन का समर्थन करता हूं।
340. श्रीमती भारती, ग्राम परसा— अदानी को समर्थन करती हूं।
341. श्री शिवमंगल, ग्राम घाटबर्बा — जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
342. श्रीमती सजनी, ग्राम परसा— समर्थन है।
343. श्रीमती गौरीबाई, ग्राम सैदू— समर्थन है।
344. श्री महेशराम, ग्राम डांडगांव —अदानी को समर्थन है।
345. श्री राम, ग्राम डांडगांव — अदानी को समर्थन है।
346. श्रीमती श्याम बाई, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
347. श्रीमती सुखमनिया बाई, ग्राम जर्नादनपुर— समर्थन है।
348. श्री मोदीराम कुर्रे, ग्राम डांडगांव— अदानी कोल माईन आने से बहुत लोगों को रोजगार मिला। जन सुनवाई का स्वागत करता हूं।
349. श्रीमती रूकमनिया बाई, ग्राम जनार्दनपुर— समर्थन है।
350. श्रीमती बिफैया, ग्राम सैदू — समर्थन है।
351. श्री राम सिंह खुसरो, ग्राम मुंडगांव —कोल माईन को समर्थन है।
352. श्रीमती जानकी बाई, ग्राम सैदू— अदानी को संपर्क करती हूं।
353. श्री बिफल राम, ग्राम जरहाडांड— अदानी को समर्थन है।
354. श्रीमती सीला बाई, ग्राम सैदू— अदानी को संपर्क करती हूं।

355. श्री जयनाथ सिंह करियाम, ग्राम देवीपुर — पेशा कानून लागू है, पांचवी अनुसूची लागू है। आदिवासी कल भी जंगल में लकड़िया बेचता था, तो क्या आज फिर बेचे। कारखानों को बिजली चाहिए बिजली कोयला से बनती है कोयला यहां मिलता है। आदिवासियों का विकास होना चाहिए। यहां के लोगों के अलावा बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। इस पर कंपनी को ध्यान देना चाहिए। रेल्वे कारीडोर को बनने दें। समर्थन करता हूं। विकास होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। यदि 17 मार्च के पहले ये ट्राला बंद नहीं होते तो मैं आंदोलन करूंगा। समर्थन है।
356. श्रीमती शांति, ग्राम सैदू— खदान को समर्थन है।
357. कु. गीता, ग्राम सैदू— अदानी को समर्थन करती हूं।
358. श्रीमती देवकी यादव, ग्राम सुस्तम— पुरी सुविधा है। आज तुरंत एम्बुलेंस मिल जाती है। समर्थन है।
359. श्रीमती दिलकुमारी, ग्राम सुस्तम—समर्थन है।
360. श्रीमती भेलीबाई, ग्राम सुस्तम —हमारे पास कुछ नहीं है।
361. श्री बाबुलाल पोर्ते, ग्राम परोगिया — अदानी को समर्थन है।
362. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम गुमगा — अदानी को समर्थन है।
363. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम घाटबर्गा — अदानी को समर्थन है।
364. श्रीमती रिजीला तिकी, ग्राम घाटबर्गा — अदानी को समर्थन है।
365. श्री भुपदेव सिंह, ग्राम मुंडागांव — अदानी को समर्थन है।
366. श्रीमती संतोषी, ग्राम घाटबर्गा — अदानी को समर्थन है।
367. श्रीमती सुजाता बाजपेयी, ग्राम साल्ही— समर्थन है। सभी के विकास में ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पूर्णतः समर्थन है।
368. श्रीमती वीणा देवांगन, ग्राम परसा— स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। माताओं को जागरूक किया जा रहा है। समर्थन है।
369. श्रीमती मानमती, ग्राम फतेहपुर — विरोध है।
370. श्री घासीराम, ग्राम जरहाडांड — जन सुनवाई का समर्थन है।
371. श्रीमती सुखमतिया, ग्राम फतहपुर — विरोध है।
372. श्री बहादूर राम, ग्राम जरहाडांड — विरोध है।
373. श्री सुरेन्द्र सिंह करियाम, ग्राम शिवनगर — जनसुनवाई पुरी तरह अवैध है। मैं इसका विरोध करता हूँ। विरोध, विरोध विरोध। भारतीय संविधान 13 क के तहत ग्राम सभा की अनुमति नहीं लि गई है। जो भारतीय संविधान को नहीं मानता है वो देशद्रोही है। क्षेत्र 5 वी अनुसूची में आता है। अगर आप यहा कोयला खोदते हो 1600 मीट्रिक टन कोयला निकलता है। 80 करोड़ रु. होते हैं। ये कैसा अन्याय है? कोयला हमारा जमीन हमारा और पैसा लेकर जाये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ये कैसा न्याय है? इसके पीछे भी किसी का हाथ है। वो है अदानी। बिजनेस माइंड लगाने हम भी आ गये हैं। नियम से चलो। आज मैं प्रुफ करूंगा कि हर समर्थन के लिए, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और यहा आकर कह रहे हैं कि समर्थन है, कहा गया है कि शाम को पैसा मिल जायेगा 1-1 हजार रूपया, मैं साबीत करूंगा, मैं प्रुफ के साथ आया हूँ हमारे गांव में मारपीट हुआ है दोनों पति पत्नि में, पैसा लेकर जा रहा है तो उसका पति मार रहा है।

मैने बासेन मे कहा था व्यवस्था सुधारो सबको मौका मिलता है। लेकिन इन्होंने तो तेज गति से भ्रष्टाचार किया लोगो को खरीदना शुरू किया समर्थन के लिए, मेरे को खरीद के दिखाओं। हम मालिक है जमीन हमारा है। पर्यावरण को बिगाड़ दिया है आपने। यहा से लेकर कमलपुर और श्रीनगर रोड खराब है। यातायात के नियम का पालन करो। 22 चक्का चलना चाहिए। परिवहन क्षेत्र मे पानी का छिड़काव करो। वाहन नशे मे और आवरलोड चल रहा है। शासन जाँच नहीं कर रहा है। यहा 900 फीट ओपन कास्ट है। जब कोयला निकाल देंगे पानी का स्तर नीचे चला जायेगा। आदिवासियों का नाजायज फायदा लिया जा रहा है। ज्यादा मत परेषान करो। आंदोलन किया जायेगा। मै डील करने आया हूँ। मै सुझाव देता हू कि जंगल को काट कर रनवे बनाओ और प्लेन से कोयला का परिवहन करो। आप हमारे जमीन से कोयला खोदिये 80 करोड़ हुआ 40 करोड़ खर्च हुये बाकी बचे 40 करोड़ को 20-20 करोड़ मे डील फाईनल करीये। अगर 20 करोड़ देते हो तो दो हम देने को तैयार है, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? हवा को दूषित कर दोगे तो सब पे प्रभाव पड़ेगा। ई.आई.ए. रिपोर्ट गलत है। नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो संयुक्त राष्ट्र अमेरीका तक जाऊंगा। पर्यावरण को आप सुधारो। 50-50 का काम होना चाहिए। आप कहते है कि सरकार के अनुसार मुआवजा देंगे। सरकार की धारा 244 ए के तहत आपको यहां आना ही नहीं चाहिए। जंगल पुरी तरह प्रदूषित है। सब डस्ट से परेशान है जो समर्थन कर रहे है वो भी । भीख नहीं हमे अधिकार चाहिए। मै इस लोक सुनवाई का पुरी तरह से विरोध विरोध विरोध विरोध करता हूँ। खारिज कर देना चाहिए।

374. **कुमारी अर्चना जायसवाल, अदानी विद्या मंदिर** – समर्थन है। कंपनी के द्वारा सभी को प्रगति का माहौल दिया गया है।
375. **श्रीमती मानकुंवर, ग्राम फतेहपुर** – विरोध है।
376. **श्रीमती महेश्वरी, ग्राम फतेहपुर** – विरोध है।
377. **कुमारी उर्मिला जायसवाल, अदानी विद्या मंदिर** – समर्थन है। विद्यालय के द्वारा अनेक बच्चो का विकास हो रहा है। कंपनी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे विकास हुआ है।
378. **श्रीमती रामबाई, ग्राम फतेहपुर** – अदानी का विरोध है।
379. **श्री जगरापण खंडे, ग्राम डांडगांव** – समर्थन है।
380. **श्रीमती नानबाई ग्राम फतेहपुर** – विरोध है।
381. **श्रीमती कुमारो बाई, ग्राम फतेहपुर** – विरोध है।
382. **कुमारी ललीता, ग्राम परसा** – परसा कोल माईन का समर्थन है।
383. **श्री अनिल तिर्की, ग्राम परोगिया** – कंपनी के द्वारा बहुत सुविधा दि गई है। समर्थन है।
384. **कु. रेखा दास, ग्राम साल्ही** – समर्थन है।
385. **कु. मंजुला सारथी, ग्राम परसा** – समर्थन है। कंपनी के द्वारा बिजली की सुविधा, पानी एवं सिलाई सेंटर कि सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
386. **श्री सुखीराम, ग्राम जरहाडांड** – समर्थन है।
387. **कु. प्रीती पोर्ते, ग्राम साल्ही** – यह जंगली क्षेत्र है। यहा पौधो की संख्या लाखो मे है। जो जंगल के काटने से उजड़ जायेंगे। यहा पर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा



है। जिससे अनेक बीमारियां होंगी और प्रभावित क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा भी नहीं है। स्कूल बिल्डिंग तो बनाये गये हैं कौशल विकास सेंटर तो खोले गए हैं लेकिन आप जाके देख सकते हैं कि कभी लाईट नहीं है तो कभी कम्प्यूटर खराब है यह स्थिति है। सुविधाएं ढंग से काम नहीं करती हैं। यहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के कोई काम कंपनी के द्वारा नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि पहले यहां के लोगों को कंपनी में अच्छे पदों पर काम करने योग्य बनाया जाये। जन सुनवाई का विरोध करते हैं।

388. श्रीमती जगतिम बाई, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
389. श्रीमती सावित्री सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
390. श्रीमती जंपा सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
391. श्रीमती मुनकी बाई, ग्राम परसा — समर्थन है।
392. कु. पुजा, ग्राम परसा — समर्थन है।
393. कु. सरिता, ग्राम परसा — समर्थन है।
394. श्रीमती सीता, ग्राम परसा— समर्थन है।
395. श्रीमती कलमी बाई, ग्राम परसा — समर्थन है।
396. श्रीमती सुशीला, ग्राम परसा — समर्थन है।
397. श्रीमती प्रमिला ठाकुर, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
398. श्रीमती बबीता, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
399. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
400. श्रीमती पार्वती, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
401. श्रीमती कौशिल्या, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
402. श्रीमती सोनामणी, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
403. श्रीमती सुनीता ठाकुर, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
404. श्रीमती महिमा दास, उदयपुर — अदानी का समर्थन है।
405. श्रीमती श्यामकुंवर, ग्राम उदयपुर — अदानी का समर्थन है।
406. श्री नैहर साय, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
407. श्री राजेश्वर सिंह, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
408. श्री सुखी राम, ग्राम डांडगांव — समर्थन है।
409. श्रीमती फुलेश्वरी, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
410. श्रीमती बुधियारो बाई, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
411. श्री अनुज राम, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
412. श्रीमती बबीता, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
413. श्रीमती सुनीता, ग्राम उदयपुर— समर्थन है।
414. श्री विक्रम, ग्राम उदयपुर— समर्थन है।
415. श्री शोभित राम, ग्राम परसा— समर्थन है।
416. श्री बोदेला, ग्राम पूटा— समर्थन है।
417. श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम घाटबर्गा— सीएसआर की राशि का उपयोग क्षेत्र के विकास में किया जा रहा है उद्योग को संचालन करने के लिये नियत की गई है। दवाई के लिये वाहन 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वाहन चलाने वाले नजदीक के लोग हैं। जन सुनवाई को तहेदिल से समर्थन करता हूं।
418. कु. प्रमिला, ग्राम फतेहपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।

419. श्रीमती तुलेश्वरी, ग्राम फतेहपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।
420. श्रीमती राजमती, ग्राम सोनतरई— लोक सुनवाई का समर्थन है।
421. श्रीमती रीता यादव, ग्राम सोनतराई — लोक सुनवाई का समर्थन है।
422. श्रीमती गीता दास, ग्राम परसा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
423. श्रीमती संतरा, ग्राम फतेहपुर — परसा खदान का समर्थन है।
424. श्रीमती कमेश्वरी, ग्राम परसा— खदान को समर्थन है।
425. श्री मोहर साय, ग्राम घाटबर्बा — परसा खदान का समर्थन है।
426. श्री तपेश्वर सिंह, ग्राम डांडगांव — परसा खदान का समर्थन है।
427. श्री चरण दास, ग्राम जरहाडांड — परसा खदान का समर्थन है।
428. श्रीमती बिलासो बाई, फतेहपुर — बंद होना चाहिए।
429. कु. रायमति पदमाकर, ग्राम साल्ही— मैं आज की जन सुनवाई का विरोध करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ की हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। अदानी विद्या निकेतन, बस नाम का इंग्लिस मिडियम है। विरोध करते हैं।
430. श्री आमिन दास, ग्राम घाटबर्बा— अदानी को संपर्क करते हैं।
431. श्री गणेश, ग्राम जरहाडांड — अदानी को संपर्क करते हैं।
432. श्री सरजू राम, ग्राम केते— जन सुनवाई का समर्थन है।
433. श्री राजकुमार, ग्राम पूटा— जन सुनवाई का समर्थन है।
434. श्री बजरंग श्रीवास, ग्राम कमलपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
435. श्रीमती गिरजा बाई, ग्राम साल्ही— विरोध है।
436. श्रीमती दिल बाई, ग्राम फतेहपुर— समर्थन है।
437. श्री धनसाय अरमो, ग्राम केते — लोक सुनवाई का समर्थन है।
438. श्री मंगल साय, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन है।
439. श्री संजय कुमार नेटी, ग्राम कमलपुर— समर्थन है।
440. श्री राजलाल तिग्गा, ग्राम लखनपुर—समर्थन है।
441. श्रीमती प्रमिला, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
442. श्री फूलसाय, ग्राम साल्ही — कोयला खदान का विरोध है।
443. श्रीमत रूप कुंवर, ग्राम साल्ही—कोयला खदान का विरोध है।
444. श्रीमती फूलबाई, ग्राम साल्ही —कोयला खदान का विरोध है।
445. श्री देव सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर — जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ। मैं हरिहरपुर वालो से जानना चाहता हूँ लोग चारो ओर से मुआवजा लिया है। बालसाय ने 1.34 करोड़ लिया है। इनहोने कई जगह जमीन खरीदी है। इनका सेटलमेंट से जमीन नहीं गया है। जाँच हो इनके प्रति कार्यवाही हो। पर्यावरण बचाया जा सकता है। हर जगह बड़ी बड़ी खदान खुली है। कोई नुकसान नहीं है।
446. श्री इन्द्रकुवर, ग्राम साल्ही — विरोध करते हैं।
447. श्री रामचरन, ग्राम केते — हम अदानी का पुर जोर समर्थन करते हैं।
448. श्रीमती विधूरिया बाई, ग्राम साल्ही — विरोध।
449. श्री प्रताप तिर्की, ग्राम कमलपुर — समर्थन है।
450. श्रीमती गनपतिया, ग्राम हरिहरपुर — विरोध है।
451. श्री गुलाब सिंह पोर्ते, ग्राम डांडगांव— समर्थन है।

452. श्रीमती दूमनी सिंह, ग्राम साल्ही — विरोध है।
453. श्रीमती जानकी, ग्राम साल्ही — विरोध है।
454. श्री गोविंद कुमार, ग्राम गुमगा — पर्यावरण का समर्थन है।
455. श्री सुरेश चंद्र यादव, ग्राम बखरबंदा — समर्थन है। और खदान खुले।
456. श्री रूपेश कुमार, ग्राम गुमगा—समर्थन है।
457. श्रीमती तिजिया, ग्राम बासेन —समर्थन है।
458. श्रीमती रामकली, ग्राम हरिहरपुर — विरोध है। हम लोगो को पैसा नहीं मिला है।
459. श्रीमती रामवती, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
460. श्रीमती दयावती, ग्राम घाटबर्गा—लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
461. श्री घुरु राम, ग्राम केते — समर्थन है।
462. श्री रामदेव सिंह, ग्राम प्रेमनगर— समर्थन है।
463. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम घाटबर्गा— अदानी को समर्थन है।
464. श्रीमती बसंती, ग्राम साल्ही — विरोध।
465. श्री सुमेर सिंह, ग्राम गुमगा— समर्थन है।
466. श्री रामप्रसाद साहू, ग्राम प्रेमनगर —समर्थन है।
467. श्री रामचंद्र साहू, ग्राम प्रेमनगर —समर्थन है।
468. श्री दिनेश साहू, ग्राम सल्का —समर्थन है।
469. श्रीमती चंद्रमती दास, ग्राम सल्का —समर्थन है।
470. श्रीमती अमृत बाई, ग्राम परसा— समर्थन है।
471. श्री सुमित, ग्राम डांडगांव— परसा खदान का समर्थन है।
472. श्री रामदेव, ग्राम साल्ही — परसा खदान का समर्थन है।
473. श्री संतोष कुमार, ग्राम परसा— परसा खदान का समर्थन है।
474. श्री जुगश्वर यादव, ग्राम प्रेमनगर — समर्थन है।
475. कु. फूलमती, ग्राम जर्नादनपुर — परसा खदान का समर्थन है।
476. कु. शकुंतला, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
477. श्रीमती संजू, ग्राम जनार्दनपुर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
478. श्री उमेश कुमार कुशवाहा, ग्राम मेंड्रा— समर्थन है।
479. कु. गीता, ग्राम तारा — परसा खदान का समर्थन है।
480. श्रीमती देवती, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
481. कु.संजू, ग्राम चंदननगर— परसा खदान का समर्थन है।
482. श्रीमती शांति देवी— परसा खदान का समर्थन है।
483. श्रीमती कराती, ग्राम परसा— पेंशन नहीं मिला है। विरोध करती हूं।
484. श्रीमती नीना सोनी, ग्राम परसा— अदानी को समर्थन है।
485. श्रीमती भगवतिया, ग्राम घाटबर्गा — अदानी को समर्थन है।
486. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम परसा— अदानी को समर्थन है।
487. श्री उत्तम सिंह, ग्राम केते— अदानी को समर्थन है।
488. श्री मुरलु राम, ग्राम घाटबर्गा — अदानी को समर्थन है।
489. श्रीमती यशोदा, ग्राम चंदननगर—समर्थन है।
490. श्रीमती नीलमणि राजवाड़े, ग्राम परसा —समर्थन है।
491. श्री अंबिकेश्वर, ग्राम सुस्तम—समर्थन है।
492. श्रीमती नान बाई, ग्राम परसा—समर्थन है।

493. श्रीमती रूकमनिया सिंह, ग्राम परसा—समर्थन है।
494. श्रीमती बसंती, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
495. श्री प्रीतम सिंह, ग्राम प्रेमनगर—समर्थन है।
496. श्रीमती सावित्री, ग्राम कांटारोली—समर्थन है।
497. श्रीमती स्वामी कुंवर, ग्राम कांटारोली — बहुत विरोध है।
498. श्रीमती रामवती, ग्राम कांटारोली—कोयला खदान का विरोध कर रही हूँ।
499. श्रीमती धन बाई, ग्राम परसा—समर्थन है।
500. श्री मानिक चंद राजवाडे, ग्राम मेण्ड्रा — समर्थन है।
501. श्रीमती कमला बाई, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
502. श्रीमती मानकुवर, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
503. श्रीमती गेतीबाई, ग्राम कांटारोली— विरोध है।
504. श्री गोविंद सिंह पैकरा, सुस्तम—समर्थन है।
505. श्रीमती फूलमतिया परसा—समर्थन है।
506. श्री गणेश यादव, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
507. श्रीमती विचारो बाई, ग्राम जनार्दनपुर—समर्थन है।
508. श्रीमती सनमित बाई, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
509. श्रीमती मदरनिया, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
510. श्री महादेव, ग्राम गुमगा — समर्थन है।
511. श्रीमती सुखमनिया, ग्राम परसा—समर्थन है।
512. श्री सोनसाय, ग्राम गुमगा—समर्थन है।
513. श्रीमती जसवंती बाई, कांटारोली— विरोध है।
514. श्री राजकेश्वर, ग्राम सल्का—समर्थन है।
515. श्रीमती जमालो, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
516. श्रीमती नरमतिया, ग्राम चंदननगर—समर्थन है।
517. श्रीमती समपतिया, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
518. श्रीमती दिलबसिया, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
519. श्री भोलेशंकर, ग्राम मेण्ड्रा— समर्थन है।
520. श्रीमती अमरासो बाई, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
521. श्रीमती सुमित्रा बाई, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
522. श्रीमती बुधनी बाई, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
523. श्रीमती शांती बाई, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन है।
524. श्रीमती श्याम बाई, ग्राम चंदननगर— अदानी का समर्थन है।
525. श्रीमती सुमारो बाई, ग्राम परसा — समर्थन है।
526. श्रीमती रीना, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
527. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
528. श्री मनोज कुमार, ग्राम श्रीनगर — समर्थन है।
529. श्रीमती उर्मिला, ग्राम कांटारोली — विरोध है।
530. श्रीमती सुकुमारो, ग्राम परसा — समर्थन है।
531. श्रीमती रबीना, ग्राम कांटारोली — समर्थन है।
532. श्री दीन दयाल, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
533. श्री तिहारू राम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।

534. श्रीमती करमातो, ग्राम फतेहपुर — संपर्क है।
535. कु. मीना सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
536. श्री धरम सिंह, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
537. कु. सोनमती सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
538. श्रीमती बबली, ग्राम जनार्दनपुर—संपर्क है।
539. श्रीमती संतोषी विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
540. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
541. श्री मुकेश, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
542. कु. मीरा सिंह उइके, ग्राम उदयपुर — अदानी द्वारा हाईवा का आवागन हो रहा है उससे हम लोगों को परेशानी हो रही है। रेल लाईन जल्दी बनवाये उससे ही आवागमन करवायें।
543. श्रीमती विमला सिंह, ग्राम परसा— समर्थन है।
544. श्रीमती इन्दरो, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
545. श्री नवल सिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
546. श्रीमती चंपा सिंह, ग्राम तारा— लोक सुनवाई का समर्थन करती हूं।
547. श्रीमती रीना, ग्राम परसा— खदान को हम समर्थन करती हूं।
548. कु. निर्मला, ग्राम परसा—समर्थन है।
549. कु. शांति, ग्राम परसा—समर्थन है।
550. श्रीमती अंबिका, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
551. श्री काली प्रसाद यादव, ग्राम लखनपुर — तहे दिल से समर्थन है।
552. श्रीमती इतवारी, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
553. श्रीमती रजवंती बाई, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
554. श्रीमती उमा मलिक, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
555. श्रीमती अमिता, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
556. श्रीमती जुगेश्वरी, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
557. श्रीमती हीरावती, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
558. श्रीमती बुधिया, ग्राम घाटबर्वा — वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है।
559. श्री अनिल कुमार, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
560. श्रीमती कौशिल्या साह, ग्राम तारा — समर्थन है।
561. श्रीमती विमला, ग्राम जर्नादनपुर — विरोध है।
562. श्रीमती मीरा पोर्ते, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
563. श्रीमती हीरामणी, ग्राम जनार्दनपुर— हमारी जमीन का निराकरण होना चाहिए। विरोध है।
564. श्री देवनाथ यादव, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
565. श्रीमती परवतिया, ग्राम जर्नादनपुर — कोयला खदान का समर्थन है।
566. श्रीमती बिफैया,ग्राम साल्ही — समर्थन है।
567. श्री संतरा, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
568. श्रीमती सावीत्री, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
569. श्रीमती बसंती, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
570. श्रीमती फूलबाई, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
571. श्री रामकिशुन, ग्राम घाटबर्वा — सम्पर्क है।

572. श्रीमती कुंती सिंह, ग्राम मेण्ड्रा — समर्थन है।
573. श्रीमती बिफैया, ग्राम जनार्दनपुर — देना चाहते हैं।
574. कु. कमलेश्वरी, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
575. श्रीमती लैला कुमारी यादव, ग्राम तारा— सिलाई सेंटर खोला गया है। अंबिकापुर जैसे शहर में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बच्चों का परीक्षण घर घर जाकर किया जाता है। कुपोषण धीरे धीरे कम हो रहा है। बाल टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सीएसआर के तहत विकास के कार्यक्रम चलाये जायें अदानी परसा कोल माईन को समर्थन करती हूँ।
576. श्री रवि, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
577. श्री संतोष सिंह साहू, ग्राम घाटबर्वा — कोयला खदान का समर्थन है।
578. कु. सविता सिंह कुर्रे, ग्राम घाटबर्वा — कोयला खदान का समर्थन है।
579. श्रीमती रामबाई, ग्राम साल्ही — कोयला खदान का समर्थन है।
580. श्रीमती कौशिल्या, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को संपर्क करती हूँ।
581. श्रीमती महेश्वरी बाई, ग्राम पतुरिया — समर्थन है।
582. श्री रामबली यादव, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
583. श्री मुनेश्वर सिंह, ग्राम चंदननगर — अदानी को समर्थन है।
584. श्रीमती धनासो, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को संपर्क करती हूँ।
585. श्रीमती अनीसा, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को संपर्क करती हूँ।
586. श्रीमती धनकुंवर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
587. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
588. श्री रामधनी, घाटबर्वा — समर्थन है।
589. श्री राजेश, घाटबर्वा — जन सुनवाई को समर्थन है।
590. कु. सुमित्रा, घाटबर्वा — कोयला खदान को समर्थन है।
591. कु. कुंती, ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।
592. श्रीमती प्यासो बाई, ग्राम घाटबर्वा — कोयला खदान को समर्थन है।
593. श्री जतिन उपाध्याय, ग्राम साल्ही — जन सुनवाई को समर्थन है।
594. श्री अजय कुमार मिश्रा, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई को समर्थन है।
595. श्रीमती सोनाबाई, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
596. श्रीमती आनन्दी बाई, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
597. श्री दिनो बाई, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
598. श्रीमती तेजमनिया, ग्राम घाटबर्वा — असमर्थन है।
599. श्री मुकेश कुमार, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
600. श्री विनोद सिंह, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
601. श्रीमती फूलमती, ग्राम तारा — संपर्क है।
602. श्रीमती समी मिंज, ग्राम तारा — संपर्क है।
603. श्रीमती हीरा मुनी, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
604. श्रीमती मोतीबाई, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
605. श्रीमती विमला बाई, ग्राम सल्का — समर्थन है।
606. श्री मनोज यादव, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
607. श्री राहुल सिंह, अदानी विद्या मंदिर साल्ही — समर्थन है।
608. श्रीमती कौशिल्या बाई, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।

609. कु. लीलावती, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
610. श्री मनी राम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
611. श्री मुडेराम , ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
612. श्रीमती ननकी, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
613. श्री जगराम, ग्राम जजगा — समर्थन है।
614. श्रीमती जनमवती, जनार्दनपुर — समर्थन है।
615. श्रीमती शिवमता, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
616. श्रीमती अमोरा बाई, ग्राम परसा — समर्थन है।
617. कु. रूपाली, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
618. श्री देव प्रसाद, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
619. श्रीमती सावित्री, ग्राम सलका — समर्थन है।
620. श्रीमती लीलावती, ग्राम सलका — समर्थन है।
621. श्रीमती तुनिया बाई, ग्राम सलका — समर्थन है।
622. श्री शिवराम यादव, ग्राम परसा— जो जो मांग करते हैं वो अदानी कंपनी करती है। नल जल का योजना बना दिया है इसलिए हम समर्थन करते हैं।
623. श्री पूरन राम विश्वकर्मा, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
624. श्रीमती श्यामा जायसवाल, ग्राम सलका — समर्थन है।
625. श्रीमती मुन्नीबाई, ग्राम सलका — समर्थन है।
626. श्रीमती मानकुंवर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
627. श्रीमती मुनबाई, ग्राम शिवनगर, — समर्थन है।
628. श्रीमती अकिलबाई, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
629. श्रीमती उदारी, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
630. श्री सुमार साय, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
631. श्री मनकू राम, ग्राम परसा — समर्थन है।
632. श्रीमती हीरामनी, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
633. श्रीमती मुन्नीबाई, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
634. श्री राजेश, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
635. श्री जयराम, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
636. श्री जलगा, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
637. श्रीमती मानकुंवर, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
638. श्रीमती फुलबसी बाई, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
639. श्रीमती फुलमनिया, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
640. श्रीमती फरीबाई, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
641. श्री अंबिका प्रसाद, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
642. श्री भोलाराम, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
643. श्रीमती सुखमती, ग्राम उदयपुर — समर्थन है।
644. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
645. श्रीमती फुलबाई, ग्राम सलका — समर्थन है।
646. श्रीमती सोनामती, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
647. श्री रामकुमार, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
648. श्री अजीत सिंह, ग्राम परोगिया—समर्थन है।

649. कु. गीता ग्राम परोगिया — विरोध
650. कु. पुष्पा, ग्राम परोगिया — विरोध
651. श्री ठाकुर सिंह, ग्राम जर्नादनपुर सरपंच —समर्थन है।
652. श्री नानबाई, ग्राम उदयपुर—समर्थन है।
653. श्रीमती सुंदरी बाई, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
654. श्री जगनराम, ग्राम गुमगा —समर्थन है।
655. श्री जगल राम, ग्राम गुमगा—समर्थन है।
656. कु. धनिया कुमारी, ग्राम उदयपुर—समर्थन है।
657. श्रीमती रामबाई, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
658. श्रीमती धनेश्वरी, उदयपुर—समर्थन है।
659. श्री अनुज राम खुसरो, ग्राम साल्ही — विरोध करता हूँ।
660. कु. जूली, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
661. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम परोगिया— समर्थन है।
662. कु. फुलेश्वरी, ग्राम परोगिया— समर्थन है।
663. श्री राम साय, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
664. श्री दूधनाथ यादव, ग्राम गुमगा —समर्थन है।
665. श्रीमती सुमारी बाई, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
666. श्री हीरालाल, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
667. श्री रामदयाल, ग्राम जनार्दनपुर—समर्थन है।
668. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम परोगिया —समर्थन है।
669. श्री सोनसाय, ग्राम घाटबर्वा— जमीन के बदले जमीन चाहिए।
670. श्रीमती अमरासो बाई, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
671. श्री रामेश्वर, ग्राम जानवाल — विरोध
672. श्रीमती रामबाई, ग्राम परोगिया — विरोध है।
673. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
674. श्रीमती धनश्वरी, ग्राम शिवनगर — हरपारा आंगनबाड़ी मिलना चाहिए।
675. श्रीमती कंतालो बाई, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
676. श्रीमती धनकुंवर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
677. श्री बृजलाल यादव, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
678. श्रीमती मुन्नी, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
679. श्री रामदयाल मरकाम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
680. कु. चंचल, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
681. श्री नाथूराम चौधरी, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
682. श्री बबलु, ग्राम जर्नादनपुर — सहमत है।
683. श्रीमती सबीना, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
684. श्रीमती सुनीता, ग्राम जनार्दनपुर —समर्थन है।
685. श्री रामदयाल, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
686. श्रीमती रतियारो, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
687. श्री हिरन राम, ग्राम परसा —समर्थन है।
688. श्रीमती रामकुंवर, ग्राम खोंदला —समर्थन है।
689. श्री शिवप्रसाद, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।



690. श्री देव सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम —समर्थन है।
691. श्रीमती सुमारो, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
692. श्रीमती फुलमतिया बाई, ग्राम शिवनगर —समर्थन है।
693. श्रीमती रानू सिंह, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
694. श्रीमती रश्मि, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
695. श्री प्रीतम सिंह, ग्राम सुस्तम —समर्थन है।
696. श्री हुबलाल कुर्रे, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
697. श्रीमती कविता, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
698. श्रीमती जानकी बाई, ग्राम परोगिया —समर्थन है।
699. श्री आलोक शुक्ला, संयोजक, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति—नाले मे गंदे पानी छोड़ने, दुर्घटना मामले, कंपनी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन नहीं कर पाई है ऐसी कंपनी का परसा कोल ब्लॉक का एक्सपांशन नहीं दिया जाना चाहिए। जो कंपनी पर्यावरणीय स्वीकृति के सारे शर्तों का पालन नहीं कर पाई है क्या ऐसी कंपनी के हाथों में नया कोई कोल ब्लॉक सौंपना चाहिए ? बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसी कंपनी को परसा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परसा ईस्ट केते बासेन की परियोजना में 2 महत्वपूर्ण कंडीशन थी। रु. 5 प्रति/टन एवं 2 प्रतिशत सीएसआर के मद में राशि 7 गांव के विकास के लिए होनी चाहिए। पिछले पांच सालों में क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये खर्च करना है। क्या 10 करोड़ रुपये 10 गांवों में पहुंचा। मिनिमम समर्थन हरिहरपुर, फतेहपुर व साल्ही गांव से आ रहा है और मैक्सिमम समर्थन उन गांवों से है जो नहीं उजड़ रहे हैं। गैर कानूनी रूप से जनसुनवाई करवाई गई है। हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। हसदेव बांगो बांध का कैचमेंट है जहां से 3 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र कि सिचाई होती है। यदि बांगो बांध खत्म हो गया तो छत्तीसगढ़ में गंभीर खाद्य समस्या उत्पन्न होगा। गंभीर पानी का संकट होगा। इस जंगल को नहीं कटना चाहिए। यह क्षेत्र वन्य प्राणीयों का महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र है। हाथी का माइग्रेट्री रूट है। हाथी की उपस्थिति को छुपाया गया है। एक-एक परियोजना की सहमति दी जा रही है तो क्या वन्य प्राणी बचेगा। जैव विविधता हेतु इस इलाके को बचाने के लिये इस कार्यवाही से बचाने की कृपा करें। 900 फिट गहराई तक खुदाई होगी तो पानी खत्म हो जायेगा। इसका प्रभाव 8 से 10 किमी के क्षेत्र पर पड़ेगा। अगले 10 साल में जब यह खदान चालु हो जायेगा इस क्षेत्र में बहुत गंभीर जल संकट होने वाला है। भूमिगत जल के बारे में जानकारी छुपाई गई है। एन.जी.टी. में परियोजना प्रस्तावक के ऊपर केस चल रहा है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज है जिसे टी.ओ.आर. एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में छुपाया गया है। सेक्शन 1 का पालन करिये और इस जनसुनवाई को रद्द करिये। 67 प्रतिशत इलाका वन क्षेत्र है। परसा कोयला खदान को भूमिगत या खुली खदान का रिकमंडेशन हुआ है उसकी रिपोर्ट ओपन करना चाहिए। परसा ईस्ट केते बासेन में आपने कहा कि रिजेक्ट कोल पॉवर प्लांट में उपयोग करेंगे और पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करेंगे। आप रिजेक्ट कोयला बेच रहे हैं और उसके साथ आप सही कोयला भी बेच रहे हैं। परसा के रिजेक्ट कोयले का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट रेल द्वारा करेंगे 18 तक आपने अनुमति मांगी है कब तक पुरी होगी हमें

नही पता है। लेकिन आज जो मौते हो रही है वो बहुत ही दूखद है, लगातार डम्पर लोगो की जिंदगी लेते हुए आगे जा रही है। यदि इस क्षेत्र में खनिज गतिविधियां बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण पर गंभीर दुष्परिणाम पड़ेंगे। परसा कोल ब्लॉक में और परियोजना नहीं होना चाहिए क्योंकि 2009 में नो गो इलाका घोषित किया गया था। यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ कि जैव विविधता अहुत ही सम्पन्न है। इस इलाके को नहीं उजाड़ना चाहिए। जितने लोग उजड़ने वाले हैं आप उन सभी को रोजगार नहीं दे सकते। मैंने देखा है केते से उजड़ने वाले लोग कही पे मजदुरी करने में विवश हैं कही कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जन सुनवाई का पुरजोर विरोध करता हूँ।

700. श्रीमती सोनावती, ग्राम जनार्दनपुर — संपर्क है।
701. श्रीमती सुमारो, ग्राम जनार्दनपुर — समर्थन है।
702. श्रीमती सावित्री, ग्राम घाटबर्ग — संपर्क है।
703. श्री अमीर साय, ग्राम घाटबर्ग — संपर्क है।
704. कु. संगीता खेस, ग्राम पूटा — परसा कोल माईस का समर्थन है।
705. कु. गीता, ग्राम पूटा — परसा कोल माईस का समर्थन है।
706. श्रीमती महेश्वरी दास, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
707. श्रीमती जगन मनी, ग्राम फतेहपुर — खदान का विरोध करती हूँ।
708. श्री गिरीश कुमार, जिला— कोरिया, चिरमिरी— मैं आज की जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। भारत में हम 20 लाख पेड़ प्रतिवर्ष काटते हैं। पर्यावरण की लगातार अनदेखी की जा रही है। एक महुआ पेड़ से 5000 से 7000 प्रतिवर्ष आय होती है। मुआवजा 500 रु. मिलता है। हम पर्यावरण का लगातार दोहन कर रहे हैं। पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। चार स्तर पर पानी की मुख्य मांग है। बलुही पत्थर बारिस के पानी को सोखता है और गरमी में यही पानी से सहायता होती है। विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के अलावा अन्य स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण के हित को ध्यान में रखा जाये। इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ।
709. श्री दुलार, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
710. श्रीमती रहवासो, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
711. श्रीमती शिवमती, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
712. श्रीमती लक्ष्मनिया बाई, ग्राम घाटबर्ग — विरोध है।
713. श्रीमती संगीता, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
714. श्री रामानंद, ग्राम साल्ही — जन सुनवाई का समर्थन है।
715. श्री सुकुल राम पोर्ते, ग्राम पतुरियाडांड— मैं इस जन सुनवाई का विरोध करता हूँ। यह पूरा जंगली क्षेत्र है। खदान खुलने से जंगल नष्ट हो जायेगा। पानी की कमी हो जायेगी। हमारे जंगल में अनेक प्रकार के जानवर हैं। भालु है, बंदर आदि हैं सभी नदी तालाब से पानी पीते हैं। मेरे तरफ से तहेदिल से विरोध है।
716. श्रीमती परमश्वरी, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
717. श्रीमती नोहरी, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
718. श्रीमती कुन्ती, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
719. श्रीमती सुखवारो बाई, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।

720. श्री उमाशंकर, उपसरपंच, ग्रामपंचायत परसा —समर्थन है। सभी लोग कंपनी पर आश्रित है। हमारे ग्राम पंचायत मे अभी 80 लाख रु कंपनी के द्वारा दिया गया है जिससे सीसी रोड बनाया गया है। मिनी राईस मिल भी खोला गया है। 120 बुजुर्गों को 500 रु पेंशन कंपनी के द्वारा दिया जाता है। मैं इस लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
721. श्रीमती अनीता, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
722. श्रीमती सीमा सरदार, ग्राम मेण्ड्रा — अदानी का समर्थन है।
723. श्रीमती पांचो बाई, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
724. श्रीमती बिफैया बाई, ग्राम मेण्ड्रा — कोयला खदान का समर्थन है।
725. श्रीमती मानती, ग्राम घाटबर्ग — कोयला खदान का समर्थन है।
726. श्रीमती जुरोबाई, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
727. श्रीमती सुनीता, ग्राम मेण्ड्रा— कोयला खदान का समर्थन है।
728. श्री धरमसाय, ग्राम परसा — आज केते मे खदान खुलनी है। आज सभी जगह धुल उड़ रही है। समर्थन करना जरूरी है। हम सहयोग देंगे।
729. श्रीमती सुखमी दास, ग्राम घाटबर्ग — कोयला खदान का समर्थन है।
730. श्री श्याम नारायण, ग्राम घाटबर्ग — कोयला खदान का समर्थन है।
731. श्रीमती रतनी बाई, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
732. श्री ईश्वर, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
733. श्रीमती सुशीला, ग्राम फतेहपुर — कोयला खदान का विरोध करना चाहती हूँ।
734. श्रीमती महेश्वरी, ग्राम घाटबर्ग — कोयला खदान का समर्थन है।
735. श्रीमती लीलावती, ग्राम सल्का — कोयला खदान का समर्थन है।
736. श्रीमती कैलासाो बाई, ग्राम फतेहपुर — अदानी विरोध करना चाहती हूँ।
737. श्रीमती निहारोबाई, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
738. श्रीमती सोनकुंवर, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
739. श्रीमती गनेश्वरी, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
740. श्रीमती केदरी बाई, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
741. श्रीमती गीता बाई, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
742. श्रीमती सजनीराम, ग्राम शिवनगर — आंगन बाड़ी की जरूरत है। अदानी का समर्थन है।
743. श्री रामेश्वर मरकाम, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
744. श्री संदीप, ग्राम घाटबर्ग — लोक सुनवाई का समर्थन है।
745. श्री बन्नु दास, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
746. श्री महेन्द्र, ग्राम सल्का — जन सुनवाई का समर्थन है।
747. श्रीमती कसुरीबाई, ग्राम शिवनगर — अदानी का समर्थन है।
748. श्रीमती अमृत बाई, ग्राम सल्का — जन सुनवाई का समर्थन है।
749. श्रीमती रामकुंवर, ग्राम फतेहपुर — अदानी का विरोध करती हूँ।
750. श्रीमती कमला बाई, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
751. श्रीमती इन्द्रावती, ग्राम सल्का — अदानी का समर्थन है।
752. श्री संतोष, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
753. श्रीमती देवमती, ग्राम हरिहरपुर —अदानी स्कूल से उषा मैडम ने निकाल दिया। साल भर काम किया झूट बोल कर निकाल दिया। विरोध है।

754. श्रीमती अनीता, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
755. श्रीमती सुखमनिया, ग्राम पानीपारा — खदान का विरोध है।
756. श्रीमती परवतिया, ग्राम घाटबर्ग — अदानी पानी नहीं दिया है। समर्थन है।
757. श्रीमती उर्मिला, ग्राम जर्नादनपुर — विरोध करती हूँ।
758. श्री मनु, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
759. श्रीमती बसंती, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
760. श्रीमती पनासो, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
761. श्रीमती बिलासो, ग्राम जर्नादनपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
762. श्रीमती विमला, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
763. श्रीमती शांती, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
764. श्रीमती निर्मला, ग्राम मेण्ड्रा — कोयला खदान को समर्थन है।
765. श्रीमती उर्मिला, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
766. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
767. श्रीमती लीलावती, ग्राम मेण्ड्रा — खदान को समर्थन है।
768. श्रीमती मनियारो, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
769. श्री नीदर साय, ग्राम जर्नादनपुर — अदानी का समर्थन है।
770. श्री हरि साय, ग्राम जर्नादनपुर — अदानी का समर्थन है।
771. श्री भुनेश्वर, ग्राम शिवनगर — अदानी का समर्थन है।
772. श्री दीप कुमार, ग्राम घाटबर्ग — समर्थन है।
773. श्री तिवरी सिंह, ग्राम शिवनगर — जन सुनवाई समर्थन है।
774. श्री रमेश्वर, ग्राम शिवनगर — अदानी का समर्थन है।
775. श्री उमशंकर, ग्राम उदयपुर — अदानी का समर्थन है।
776. श्री अजय, ग्राम करजी — अदानी का समर्थन है।
777. श्री शिवम, ग्राम शिवनगर — जन सुनवाई का समर्थन है।
778. श्री अवधेश शुक्ला, ग्राम डांडगाव — सभी लोग पक्ष विपक्ष में बोल रहे हैं। जब खदान नहीं था तो आप कहा थे ? एन जी ओ आते हैं विरोध कि बात करते हैं। मैं लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
779. श्रीमती सुनीता दास, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
780. श्रीमती देवमती, ग्राम हरिहरपुर — अदानी स्कूल से झूठ बोल के निकाल दिया गया। जंगल से लकड़ी ला कर स्कूल में काम किया है। विरोध है।
781. श्री नत्थुराम, ग्राम फतेहपुर — विरोध है।
782. श्री सुनील तिर्की, ग्राम बदोई — जन सुनवाई का समर्थन है।
783. श्रीमती प्रमिला दास, ग्राम खंटकारी — जन सुनवाई का समर्थन है।
784. श्री तिलक राम, ग्राम घाटबर्ग — जन सुनवाई का समर्थन है।
785. श्री संजय कुमार साहू, ग्राम सल्का — अदानी का समर्थन है।
786. श्रीमती ललीता, ग्राम पटघोरी — जन सुनवाई का समर्थन है।
787. श्रीमती अनीता, ग्राम सल्का — जन सुनवाई का समर्थन है।
788. श्री शामिल, ग्राम घाटबर्ग — अदानी का समर्थन है।
789. श्रीमती रतनबाई, ग्राम सल्का — अदानी का समर्थन है।
790. श्रीमती सुशीला, ग्राम साल्ही — जन सुनवाई का समर्थन है।
791. श्रीमती मायावती, ग्राम फतेहपुर — विरोध करती हूँ।

792. श्री कन्हैयालाल, ग्राम फतेहपुर — अदानी का समर्थन है।
793. श्री तेजुराम, ग्राम परसा — जन सुनवाई समर्थन है।
794. श्रीमती सरिता दास, ग्राम परसा — अदानी का समर्थन है।
795. श्रीमती रमीला दास, ग्राम परपोड़ी — अदानी का समर्थन है।
796. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम खरवोटी — जन सुनवाई समर्थन है।
797. श्रीमती हीरमनिया, ग्राम फतेहपुर — अदानी का समर्थन है।
798. श्री बंधन राम, ग्राम साल्ही — विरोध है।
799. श्रीमती मानमती, ग्राम बासेन — अदानी का समर्थन है।
800. श्री राम सिंह आर्मी, ग्राम जामपानी — विरोध
801. श्री रामसाय, ग्राम सैदू — गांव मे रास्ता नही है। पंचायत नही है। विरोध है।
802. श्रीमती सोनावती, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।
803. श्रीमती कुंवारी बाई, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।
804. श्रीमती सांधो बाई, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई समर्थन है।
805. श्री जवाहर, ग्राम करंजी — जन सुनवाई समर्थन है।
806. श्री नानसाय, ग्राम सैदू — अदानी का समर्थन है।
807. श्रीमती सुरगी, ग्राम जर्नादनपुर — विरोध है।
808. श्रीमती मंजु दास, ग्राम सल्का — अदानी का समर्थन है।
809. श्री सुखराम, ग्राम सैदू — अदानी का समर्थन है।
810. श्री मंगलराम, ग्राम शिवनगर — फुल विरोध है।
811. श्रीमती रजमनिया, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
812. श्रीमती बुधियारा, ग्राम बासेन — कोयला खदान का समर्थन है।
813. श्रीमती रूकमणी, ग्राम परसा — अदानी का समर्थन है।
814. श्रीमती विनोद बाई, ग्राम डांडगांव — कोल ब्लॉक को समर्थन है।
815. श्रीमती श्यामबाई, ग्राम बासेन — अदानी को समर्थन है।
816. श्रीमती बबली ग्राम परसा — कोयला खदान का समर्थन है।
817. श्रीमती मुनेश्वरी, ग्राम परसा— अदानी का समर्थन है।
818. श्री सुशील तिर्की, ग्राम परसा — जन सुनवाई का समर्थन है।
819. श्री मोहन सिंह, ग्राम मेण्ड्रा — अदानी को संपर्क करना चाहता हूँ।
820. श्री विपिन यादव, ग्राम घाटबर्वा — पर्यावरण का समर्थन करता हूँ।
821. श्री गोविंद कुमार, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
822. श्री बेधिर राम, ग्राम जर्नादनपुर — लोक सुनवाई समर्थन है।
823. श्री बमन सिंह, ग्राम केते — जन सुनवाई समर्थन है।
824. श्रीमती सुनीता, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
825. श्रीमती प्रियंका, ग्राम बासेन — समर्थन है।
826. श्रीमती रमेश्वरी, ग्राम बासेन — विरोध करती हूँ।
827. श्री शिवभगत, ग्राम धौलपुर — समर्थन है।
828. श्रीमती बिगन बाई, ग्राम बासेन — समर्थन है।
829. श्रीमती संगीता सिंह, ग्राम डांडगांव — समर्थन है।
830. श्रीमती सरिता सिंह, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
831. श्रीमती रमनी बाई, ग्राम बासेन — समर्थन है।
832. श्री अजय, ग्राम बासेन — समर्थन है।

833. श्री शिवराम, ग्राम हरिहरपुर — समर्थन है।
834. श्री केदार सिंह, ग्राम बडेर — समर्थन है।
835. श्री लक्ष्मी नारायण, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
836. श्रीमती मीना, ग्राम डांडगांव — खदान का समर्थन है।
837. श्रीमती मानमती, ग्राम तारा — अदानी का विरोध है।
838. श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासेन — परसा कोल ब्लॉक का समर्थन है।
839. श्रीमती रामबाई, ग्राम डांडगांव — समर्थन है।
840. श्रीमती दिलोबाई, ग्राम डांडगांव — जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
841. श्री धनसाय, ग्राम डांडगांव — समर्थन करता हूँ।
842. श्रीमती रुदन, ग्राम बासेन — लोकसुनवाई का समर्थन है।
843. श्री शिवप्रताप, ग्राम बासेन — समर्थन है।
844. श्री रामनाथ, ग्राम घाटबर्वा — परसा खदान का समर्थन है।
845. श्री मूलचंद, ग्राम घाटबर्वा — खदान का समर्थन है।
846. श्रीमती इन्द्रावती, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
847. श्री रामहज, ग्राम जर्नादनपुर — खदान का विरोध है।
848. श्रीमती मुनेश्वरी, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
849. श्रीमती सविता, ग्राम बासेन — समर्थन है।
850. श्रीमती देवमतिया, ग्राम बासेन — समर्थन है।
851. श्रीमती ननकी बाई, ग्राम साल्ही — अदानी का समर्थन है।
852. श्रीमती पुली बाई, ग्राम साल्ही — अदानी का समर्थन है।
853. श्रीमती सीसाबाई, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
854. श्रीमती हिन्द कुंवर, ग्राम बासेन — कोल माईन का समर्थन करती हूँ।
855. श्रीमती मियानी बाई, ग्राम तारा — समर्थन है।
856. श्रीमती दूर्गावती, ग्राम बासेन — कोयला खदान का समर्थन है।
857. श्री भरमदेव, ग्राम हरिहरपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
858. श्री कन्तेरम, ग्राम धौरपुर — कोयला खदान का विरोध है।
859. श्री पातर साय, ग्राम केते— जन सुनवाई का मैं पूर्ण सपोर्ट करता हूँ। इस क्षेत्र में सबसे पहले केते गांव विस्थापित हुआ। 2012 से विस्थापन हो रहा है। खदान खुलेगी तो पांच गांव विस्थापित होंगे। जिनमें 185 घर विस्थापित होगा और 768 लोगो को रोजगार मिलेगा। ग्राम केते में जितना भी पुर्नवास हुआ है कंपनी ने किया है। मैं जन सुनवाई का समर्थन करता हूँ।
860. श्रीमती चंद्रवती, ग्राम तारा— मांग पूरी करें। लोक सुनवाई का समर्थन है।
861. श्रीमती चंदरमनि, ग्राम बासेन— अदानी का समर्थन है।
862. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम घाटबर्वा — खदान का समर्थन है।
863. श्रीमती सुनीता, ग्राम घाटबर्वा — खदान का समर्थन है।
864. श्रीमती सुखो बाई, ग्राम बासेन — खदान का समर्थन है।
865. श्रीमती मूर्ति, ग्राम बासेन— कोयला खदान का समर्थन है।
866. श्रीमती सुखनी, ग्राम बासेन— कोयला खदान का समर्थन है।
867. श्रीमती राधा पोर्ते, ग्राम साल्ही — कोल माईंस को समर्थन है।
868. श्रीमती सोनिया, ग्राम बासेन— अदानी को समर्थन है।
869. श्रीमती प्रमिला, ग्राम बासेन— कोल माईंस को समर्थन है।

870. श्रीमती सुधानो, ग्राम हरिहरपुर— जन सुनवाई को समर्थन है।
871. श्रीमती बबीता, ग्राम तारा— अदानी को समर्थन है।
872. श्रीमती बिफैया, ग्राम बासेन— अदानी को समर्थन है।
873. श्री मंजनदास, ग्राम साल्ही— जबरदस्त समर्थन है।
874. श्री सतंमोहन बंजारा, ग्राम सल्का—अदानी कोल माईस को समर्थन है।
875. श्रीमती प्यासो बाई, ग्राम बासेन— समर्थन है।
876. श्रीमती कुम्हारो बाई, ग्राम बासेन —समर्थन है।
877. श्रीमती रजमीन, ग्राम बासेन—समर्थन है।
878. श्री प्रमिता, ग्राम बासेन—समर्थन है।
879. श्री सुमार साय, ग्राम सैदू —समर्थन है।
880. श्री संतराम, ग्राम सुस्तम—समर्थन है।
881. श्रीमती कलावती, ग्राम सुस्तम — अदानी कोल माईस को समर्थन है।
882. श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासेन—समर्थन है।
883. श्रीमती तुलसी यादव, ग्राम बासेन— कोल माईस को समर्थन है।
884. श्रीमती मधुमतिया, ग्राम बासेन—समर्थन है।
885. श्रीमती चंदा, ग्राम बासेन— अदानी का समर्थन है।
886. श्रीमती गनेश्वरी, ग्राम परसा— कोल माईस को समर्थन है।
887. श्रीमती शिवंती, ग्राम बासेन—समर्थन है।
888. श्री गजानंद, ग्राम सलका—समर्थन है।
889. कु. चंदा, ग्राम तारा—परसा कोयला खदान का समर्थन करती हूँ।
890. श्रीमती मंजुलता, ग्राम तारा— समर्थन करती हूँ।
891. श्री मंगल, ग्राम परोगीया— खदान का समर्थन है।
892. श्रीमती किरण, ग्राम बासेन —समर्थन है।
893. श्रीमती अमृता, ग्राम बासेन—समर्थन है।
894. श्री जगनारायण पोर्ते, ग्राम साल्ही—समर्थन है।
895. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम हरिहरपुर—समर्थन है।
896. श्रीमती सुनीता, ग्राम परसा—समर्थन है।
897. श्री मियाराम, ग्राम हरिहरपुर—समर्थन है।
898. श्री नंदलाल यादव, ग्राम परोगीया— जनसुनवाई का समर्थन है।
899. श्रीमती अनीता, ग्राम हरिहरपुर—खदान का समर्थन है।
900. श्रीमती रनबासो, ग्राम हरिहरपुर— जनसुनवाई का समर्थन है।
901. श्रीमती लक्ष्मनिया, ग्राम बासेन— जनसुनवाई का समर्थन है।
902. श्रीमती गीता देवी, ग्राम बासेन—गांव में जो पढी लिखी लडकियां है उनको भी रोजगार दिया जाये। गांव का विकास हुआ है। समर्थन करती हूँ।
903. श्रीमती ललिता राम, ग्राम परसा —समर्थन है।
904. श्री शिवमंगल, ग्राम सैदू — अदानी का समर्थन करता हूँ।
905. श्री गेटूराम, ग्राम घाटबर्रा — अदानी का समर्थन है।
906. श्रीमती मंगली, ग्राम घाटबर्रा — अदानी का समर्थन है।
907. श्रीमती सूरजमनी, ग्राम हरिहरपुर — खदान का समर्थन है।
908. श्रीमती अमनबाई, ग्राम हरिहरपुर—समर्थन है।
909. श्रीमती दिलासो बाई, ग्राम घाटबर्रा —समर्थन है।

910. श्रीमती किरन बाई, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
911. श्री दलसाय, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
912. श्री सुघराम, ग्राम सलका— जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
913. श्रीमती फुलकुंवर, ग्राम फतेहपुर — परसा केते खदान का विरोध है।
914. श्रीमती कौशिल्या, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
915. श्रीमती इन्द्रकुंवर, ग्राम घाटबर्वा— खदान का विरोध करता हूं।
916. श्रीमती मीना मरकाम, ग्राम घाटबर्वा—बस की सुविधा होनी चाहिए समर्थन है।
917. श्रीमती लक्ष्मनिया, ग्राम जनार्दनपुर—समर्थन है।
918. श्री सुमित्रा, ग्राम जनार्दनपुर — खदान का समर्थन है।
919. श्रीमती ममता, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
920. श्रीमती संगीता, ग्राम शिवनगर — इस लोकसुनवाई समर्थन है।
921. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम शिवनगर — अदानी का समर्थन करता हूं।
922. श्रीमती बिफैया बाई, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
923. श्रीमती सुरमनिया, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
924. कु. बसंती, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
925. श्रीमती कुलीबाई, ग्राम शिवनगर —समर्थन करती हूं।
926. श्रीमती संगीता, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
927. श्रीमती निधवारो, ग्राम शिवनगर —समर्थन है।
928. श्रीमती दिलेश्वरी, ग्राम शिवनगर — खदान का समर्थन है।
929. श्री रामेश्वर, ग्राम शिवनगर —समर्थन है।
930. श्रीमती सावित्री, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
931. श्रीमती बालोबाई, ग्राम जनार्दनपुर —समर्थन है।
932. श्रीमती सुनीता, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
933. कु. पुनीता, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
934. कु. धनमतिया, ग्राम तारा —समर्थन है।
935. श्रीमती मधुलक्ष्मी, ग्राम जनार्दनपुर — हमारे गांव में अदानी कुपोषण कार्य चला रहा है। बहुत सारे कुपोषित बच्चों के लिए कार्य किया गया है। खदान का समर्थन है।
936. श्रीमती गायत्री, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
937. श्रीमती गीता बाई, ग्राम चारपारा—समर्थन है।
938. श्री संतोष कुमार राय, ग्राम शिवनंदनपुर— समर्थन है। बिजली की आवश्यकता हर घर को होती जा रही है जिससे कोयले का उत्पादन बढ़ाना होगा। कोयला नहीं देगे तो बिजली नहीं मिलेगी। बिजली आपके घर में पहुंचती है टीवी देखते हैं तो बौद्धिक विकास होता है। जन सुनवाई का समर्थन है।
939. कु. रतना सिंह, ग्राम जनार्दनपुर—समर्थन है।
940. श्रीमती रीना कुर्रे, ग्राम जनार्दनपुर —समर्थन है।
941. कु. राजकुमारी, ग्राम मेण्ड्रा — समर्थन है।
942. श्रीमती प्रमिला, ग्राम मेण्ड्रा —समर्थन है।
943. कु. सविता, ग्राम मेण्ड्रा— खदान का समर्थन है।
944. कु. सुकमनिया, ग्राम जनार्दनपुर —समर्थन है।
945. श्री दिगंबर, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।



946. श्री प्रीतम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
947. श्रीमती सुखरी बाई, ग्राम मेण्ड्रा— —समर्थन है।
948. श्रीमती श्याम बाई, ग्राम जर्नादनपुर —अदानी का समर्थन करती हूं।
949. कु. मंजूषा सिंह, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
950. कु. पुर्णिमा सिंह, ग्राम शिवगनर —बस की सुविधा चाहिए।
951. कु. बालकुमारी, ग्राम शिवनगर —समर्थन है।
952. कु. सविता, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
953. श्री धरमपाल, ग्राम दौलतपुर — लोक सुनवाई को समर्थन है।
954. श्री बृजलाल, ग्राम परसा— जन सुनवाई का समर्थन है।
955. श्री उमेश्वर सिंह आर्मा, ग्राम जामपानी पतुरिया डांड — पर्यावरण लोक सुनवाई का मैं विरोध करता हूँ। जिस स्थान के लिए लोक सुनवाई हो रहा है वहां से मेरा गांव 2 किमी. की दूरी पर है। जिस प्रकार से पर्यावरण रिपोर्ट में जो छुपाया जाता है वह निंदनीय है। लोग कहते हैं जिस भूमि में मैं 50 क्विंटल धान कमाता था वहां पानी की कमी की वजह से 5 क्विंटल धान भी नहीं होता है। इसलिए हम विरोध करते हैं। जब परसा खदान खुलेगा हमारी नदी सुख जायेगी। ई.आई. ए. रिपोर्ट में सिर्फ अटेम नदी का लेख किया गया है। बहुत सी नदियां हैं। उनका जिक्र नहीं किया गया है। पर्यावरण विभाग केवल कंपनी के लिए काम कर रही है। कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि कोयला नहीं निकालेंगे तो बिजली नहीं बनेगी। लेकिन आज हमारा गांव सौर विद्युत से जगमगा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर सिचाई कर रहे हैं। पानी से विद्युत उत्पादन हमारे बांगो बांध में हो रहा है। 2009 में पर्यावरण मंत्री जी ने इस क्षेत्र को नो गो क्षेत्र घोषित किया था। 2010 में परसा ईस्ट केते बासेन और तारा खदान की निलामी की गई। और उसके अगले बिंदु में ये लिखा गया था कि इस क्षेत्र के जंगल को देखते हुए किसी भी प्रकार के परियोजना को स्वीकृति न दी जाये। ये हमारे मंत्रालय की भूल है कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की लगातार जन सुनवाई की जा रही है। केते एक्सटेंशन के लिए कोयला जॉच की अनुमति मिल गई ये दुर्भाग्य है। जिस बांगो परियोजना से जांजगीर-चांपा की लाखों हेक्टेयर की सिचाई होती है उस जमीन की अनदेखी की गई है। मैं चाहूंगा कि ये सब देखते हुए इस जन सुनवाई का विरोध किया जाये। विकास नहीं है विकास के नाम पर ढकोसला है। मैं विरोध करता हूँ।
956. श्रीमती कुंती बाई, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
957. श्री सुशील कुमार, ग्राम जर्नादनपुर— मैं खदान का विरोध करता हूँ ।
958. श्रीमती परमेश्वरी, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
959. कु. चंद्रिका, ग्राम तारा— कोयला खदान को समर्थन है।
960. श्रीमती सुमित्रा, ग्राम फतेहपुर— कोयला खदान को समर्थन है।
961. श्री देवी चरण, ग्राम परसा— लोक सुनवाई को समर्थन है।
962. श्री मरकाम, ग्राम घाटबर्वा — कोयला खदान को समर्थन है।
963. कु. विमला यादव, ग्राम तारा— हम लोगो को टियूशन एंव कम्प्यूटर चाहिए, कोयला खदान का समर्थन है।
964. कु. प्रियंका यादव, ग्राम तारा — कम्प्यूटर साधन प्रदान करें। समर्थन है।
965. श्रीमती बसंती, ग्राम तारा — अदानी को संपर्क है।

966. श्री राज, ग्राम सैदू— जन सुनवाई समर्थन है।
967. श्री अनुज दास, ग्राम साल्ही— अदानी का समर्थन है।
968. श्रीमती कलावती, ग्राम सलका — अदानी का समर्थन है।
969. श्रीमती बनियारो, ग्राम सलका— कोयला खदान का समर्थन है।
970. श्रीमती अनामती, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन है।
971. श्रीमती शिवकुमारी, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन है।
972. श्रीमती सकुंती बाई, ग्राम तारा— कोयला खदान का समर्थन है।
973. श्रीमती लक्ष्मी, ग्राम सलका — अदानी का समर्थन है।
974. श्री भीम साय, ग्राम सलका — कोयला खदान का समर्थन है।
975. श्री कैलाश साय, ग्राम सलका— कोयला खदान का समर्थन है।
976. श्री धनीराम, ग्राम सलका — अदानी का समर्थन है।
977. कु. रजमुनिया ग्राम घाटबर्गा — जन सुनवाई समर्थन है।
978. श्रीमती बसंती दास, ग्राम सलका — कोयला खदान का समर्थन है।
979. श्रीमती धनेश्वरी, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन है।
980. श्रीमती जेनामति, ग्राम तारा — कोयला खदान का समर्थन है।
981. श्रीमती फूलमति, ग्राम तारा — अदानी का समर्थन है।
982. श्रीमती सुखमनिया, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन है।
983. श्री सबा सिंह, ग्राम सैदू— कंपनी का विरोध करता हूँ। दिनांक 28/11/17 को अदानी द्वारा दिए गए पैसे से जो 3500 का बकरा कटा था तो कुछ लोग मुझे बुलाने आये। मैं बोला नहीं आउंगा। तो वो मुझसे लड़ने लगा, क्या अदानी कोल मार्ग्स ने उसे मुझसे लड़ने के लिए पैसे दिए थे? इसलिए मैं अदानी कंपनी का विरोध करता हूँ।
984. श्री वरुण सिंह, ग्राम सैदू— अदानी का समर्थन है।
985. श्री मनिदेव, ग्राम बकालो— समर्थन है।
986. श्रीमती सुलक्ष्मी शर्मा, ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन है।
987. श्रीमती रजनी श्रीवास्तव, ग्राम उदयपुर— जन सुनवाई का समर्थन है।
988. श्रीमती कमला, ग्राम साल्ही— जन सुनवाई का समर्थन है।
989. श्रीमती उर्मिला, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
990. श्रीमती अनकबाई, ग्राम साल्ही— अदानी का समर्थन है।
991. कु. सरिता तिर्की, ग्राम बासेन —समर्थन है।
992. श्रीमती आनंद बाई, ग्राम खोंधला— लोकसुनवाई का समर्थन है।
993. श्रीमती रजमनिया, ग्राम साल्ही —समर्थन है।
994. श्रीमती यशोदा, ग्राम कमलपुर — परसा कोल ब्लॉक का समर्थन है।
995. श्री शिव प्रसाद प्रजापति, ग्राम कमलपुर —समर्थन है।
996. श्री कृपाल सिंह यादव, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
997. श्री भुवनेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्गा — विरोध है।
998. श्रीमती नोनी बाई, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
999. श्रीमती लाली, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1000. श्रीमती जयमुनि ग्राम बासेन—समर्थन है।
1001. श्रीमती सुकमनिया ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1002. श्रीमती हीराबाई ग्राम साल्ही—समर्थन है।

1003. श्री रूस्तम प्रजापति ग्राम —समर्थन है।
1004. श्री जय सिंह पटेल, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1005. श्री बुधेश्वर यादव, ग्राम दौलतपुर— खदान का समर्थन करता हूं।
1006. श्रीमती सावित्री, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1007. श्रीमती तेजमति तिर्की, ग्राम बासेन— कंपनी का समर्थन है।
1008. श्रीमती अनीता ग्राम बासेन— मैं अदानी कंपनी का समर्थन करता हूं।
1009. श्रीमती उर्मिला ग्राम खोंधला — कोल माईन का समर्थन है।
1010. श्रीमती फुलमनि ग्राम घाटबर्गा— कोल माईन का समर्थन है।
1011. श्री अमर साय ग्राम घाटबर्गा — कोल माईन का समर्थन है।
1012. श्री शिवकुमार प्रजापति, ग्राम पंपानगर—समर्थन है।
1013. श्री ननका राम विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1014. श्री राजीव प्रजापति ग्राम पंपापुर—समर्थन है।
1015. कु. धनेश्वरी, ग्राम खोंधला— कोल माईन का समर्थन है।
1016. श्रीमती कुंती बाई ग्राम — समर्थन है।
1017. श्रीमती रूकमिन, ग्राम खोंधला— कंपनी का समर्थन है।
1018. श्रीमती कलेश्वरी, ग्राम खोंधला— खदान का समर्थन है।
1019. कु. यशोदा यादव, ग्राम परसा—समर्थन है।
1020. श्रीमती सुमिरित, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1021. श्री रमेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
1022. श्री प्रेम साय, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1023. श्री शिवपाल यादव, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
1024. श्रीमती सोनामनी, ग्राम तारा —समर्थन है।
1025. श्रीमती शिमला देवांगन, ग्राम तारा—समर्थन है।
1026. श्रीमती सुनीता सिंह, ग्राम तारा— जनसुनवाई का समर्थन है।
1027. श्रीमती धनकुंवर, ग्राम तारा—समर्थन है।
1028. कु. सीता, ग्राम परसा—समर्थन है।
1029. श्रीमती सुखिया, ग्राम तारा— अदानी का समर्थन है।
1030. श्री सुरेश, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1031. श्री कल्याण सिंह, ग्राम परशुरामपुर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1032. श्री ननकू, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1033. श्री गंगोत्री यादव, ग्राम तारा —समर्थन है। गांव में कांकीट का रोड होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, बच्चों को इंगलिश मीडियम स्कूल में दाखिला होना चाहिए। हमारे गांव के विकास में सहयोग दें।
1034. कु. प्रियंका, ग्राम परसा—समर्थन है। अदानी कंपनी आने के कारण बच्चे अच्छी पढाई कर रहे हैं। वाहन सुविधा हो जाने के कारण सभी बच्चे अच्छी पढाई कर रहे हैं। मैं जन सुनवाई का समर्थन करती हूँ।
1035. श्रीमती मालती, ग्राम तारा—समर्थन है।
1036. श्रीमती सावित्री आर्मी, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है। माईन का बहुत सहयोग रहा है।
1037. श्री चंदन सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1038. श्री जगदीश प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।

1039. श्री रामेश्वर, ग्राम फतेहपुर—विरोध है।
1040. कु. सरिता दास मानिकपुरी ग्राम सलका—समर्थन है।
1041. श्रीमती फुलमति, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1042. कु. आयसा खातून, ग्राम तारा— कोल माईन का समर्थन है।
1043. कु. साबिया ग्राम तारा— माईन का समर्थन है।
1044. कु. राजकुमारी संतोषी, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
1045. श्रीमती शारदा अंसारी, ग्राम तारा—अदानी कांल माईस का समर्थन है।
1046. कु. रिझाना, ग्राम तारा—समर्थन है।
1047. कु. हीरमनिया ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1048. श्री सुखलाल, ग्राम सैदू—समर्थन है।
1049. श्री बाल कृष्ण यादव, ग्राम घाटबर्ग— अदानी का समर्थन है।
1050. श्री साय ग्राम फतेहपुर— अदानी का समर्थन है।
1051. कु. शांति, ग्राम फतेहपुर — जनसुनवाई का समर्थन है।
1052. श्री प्रीतम, ग्राम गिदमुड़ी—समर्थन है।
1053. कु. संगीता, ग्राम तारा—समर्थन है।
1054. कु. रसियानो ग्राम तारा— कंपनी का समर्थन है।
1055. श्रीमती सहोदरी, ग्राम तारा—समर्थन है।
1056. श्रीमती रश्मि पैकरा, ग्राम तारा — कंपनी का समर्थन है।
1057. श्रीमती सरोजनी बाई, ग्राम खोंधला—‘समर्थन है।
1058. श्री बुधराम, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1059. श्रीमती ननकुंवर, ग्राम खोंधला— अदानी का समर्थन है।
1060. श्री जोगेन्द्र ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1061. श्री रामसिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1062. श्रीमती बुधनी बाई, ग्राम तारा—समर्थन है।
1063. श्रीमती जुगमनिया ग्राम डांडगांव —समर्थन है।
1064. श्रीमती मुनिया, ग्राम तारा—समर्थन है।
1065. श्रीमती रामकुंवर, ग्राम तारा—समर्थन है।
1066. श्री बसंत कुमार पैकरा, ग्राम सुस्तम—समर्थन है।
1067. श्री अहिन, ग्राम सुस्तम —समर्थन है।
1068. श्री सरद, ग्राम सुस्तम —समर्थन है।
1069. श्री शिवकुमार, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1070. श्रीमती नानबाई, ग्राम तारा—समर्थन है।
1071. श्रीमती सरस्वती, ग्राम गिदमुड़ी—समर्थन है।
1072. कु. रीता मरकाम, ग्राम तारा — जनसुनवाई का समर्थन करती हूं।
1073. कु. प्रियंका, ग्राम फतेहपुर— कंपनी का समर्थन करती हूं।
1074. श्रीमती लीलाबाई ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1075. श्रीमती बोली बाई, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1076. श्री तीज राम, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1077. श्री मोहनसाय मरकाम ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1078. श्रीमती देवकुमारी, ग्राम घाटबर्ग —समर्थन है।
1079. कु. सुहानी ग्राम फतेपुर — विरोध

1080. कु. अर्चना सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर— विरोध।
1081. श्रीमती संगीता, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1082. श्रीमती समारी, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1083. श्री तुलसी यादव, ग्राम चंदननगर — यहां बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं अदानी को समर्थन देता हूँ, मैं अदानी को समर्थन करता हूँ, मैं अदानी को संपर्क करता हूँ। बहुत खेद का विषय है, यहां सामने लिखा हुआ है। आपको यह पता नहीं है कि किस बारे में बात रखनी है। अदानी के आने से विकास की गंगा बह गई बहुत लोगो ने बोला। अटेम नदी का पानी क्यों काला हो गया। कोयला डस्ट का पानी कहां बहाना है कि हमारे क्षेत्र के लोगो को परेशानी न हो क्या आपने सोचा है ? तारा से प्रेमनगर से रामानुजनगर तक जो रोड बनी है वो सिर्फ 12 टन क्षमता की है लेकिन 20—30 टन क्षमता के ट्रक गुजर रही है लोगों को रौंदते हुए। कोयला डस्ट और गाड़ियों का धुंआ खाते खाते दम घुट रहा है। 42—42 बिंदुओ पर प्रस्ताव पारित किया गया है लेकिन वो प्रस्ताव वो पैसा कहां गया पता नहीं है। यहां के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है।
1084. कु. निशा, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1085. श्री विक्की, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
1086. श्रीमती तुलसी यादव, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
1087. श्री धीरेन पोर्ते, ग्राम फतेहपुर— एक एकड़ में 20 करोड़ दें तो समर्थन है।
1088. श्री जगदीश यादव, ग्राम गुमगा— लोक जन सुनवाई का समर्थन है।
1089. श्रीमती शांति ग्राम परोगिया— अदानी को समर्थन है।
1090. श्रीमती बसंती, ग्राम परोगिया— समर्थन है।
1091. श्रीमती कांति, ग्राम परोगिया—कोयला खदान को समर्थन है।
1092. श्री रामेश्वर सिंह, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
1093. श्री सेवाराम बंजारे, ग्राम सुस्तम— जन सुनवाई का समर्थन है।
1094. श्रीमती प्रियंका सिंह, ग्राम उदयपुर— परसा कोल माईन का समर्थन है। तहेदिल से समर्थन है।
1095. श्रीमती परमेश्वरी बाई, ग्राम तारा—समर्थन है।
1096. श्री कमलेश्वर सिंह पैकरा, ग्राम सुस्तम— अदानी का समर्थन है।
1097. श्री सैतू सिंह, ग्राम तारा —विरोध
1098. श्रीमती रामकुंवर, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
1099. श्रीमती ईतवारी बाइ ग्राम तारा— जन सुनवाई का समर्थन करती हूं।
1100. श्रीमती अमरासो, ग्राम तारा—समर्थन है।
1101. श्री बिहारी राम यादव, ग्राम गुमगा—समर्थन है।
1102. श्री गोवर्धन यादव, ग्राम गुमगा—समर्थन है।
1103. श्री रती राम, ग्राम कांटारोली— विरोध करता हूं।
1104. श्री मनोज कुमार यादव, ग्राम परसा— परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करता हूं।
1105. श्रीमती ललिता सिंह नेताम, ग्राम तारा—समर्थन है
1106. श्रीमती इंदकुंवर, ग्राम तारा—समर्थन है।
1107. श्रीमती नगीना सिंह मरावी, ग्राम तारा—समर्थन है।
1108. श्रीमती सुखमनिया, ग्राम तारा—समर्थन है।
1109. श्रीमती अंजु साहू, ग्राम तारा—समर्थन है।

1110. श्री गुलाब सिंह पैकरा, ग्राम तारा—समर्थन है।
1111. श्री श्रवण कुमार ग्राम विनगर—समर्थन है।
1112. श्री देव नारायण सिंह मरकाम, ग्राम जना—समर्थन है।
1113. श्रीमती पुष्पा तिवारी, ग्राम तारा—समर्थन है।
1114. श्री शिवशंकर गुप्ता ग्राम शिवनगर— लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।
1115. श्री राजाराम, ग्राम फतेपुर — खदान का समर्थन है।
1116. श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
1117. श्री संतराम, ग्राम परसा —जहां विकास है वहां विनाश जरूरी है। जो लोग प्रभावित हुए उन्हें लाभ कंपनी से मिल रहा है। इस बात का समर्थन करते हैं।
1118. श्रीमती शांति, ग्राम तारा चारपारा— लोक सुनवाई का विरोध है।
1119. श्रीमती ललीता, ग्राम तारा चारपारा— मांग पूरी करे। विरोध है।
1120. श्रीमती श्यामबाई ग्राम तारा चारपारा— समर्थन है।
1121. श्रीमती सीमा ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1122. श्रीमती लक्ष्मनिया बाई, ग्राम चारपार—समर्थन है।
1123. श्रीमती कृष्णा बाई, ग्राम तारा चारपारा—विरोध है।
1124. श्रीमती निर्मला, ग्राम तारा — खदान का विरोध करती हूं।
1125. श्रीमती सुंदरी बाई, ग्राम तारा— विरोध ।
1126. श्री विरेन्द्र गोस्वामी ग्राम सलका, समर्थन है।
1127. श्री जनक राम, ग्राम हरिहरपुर— विरोध है।
1128. श्री मुकेश ग्राम सलका— समर्थन है।
1129. श्रीमती चंदमति ग्राम चारपार — समर्थन है।
1130. श्री मंगलसाय, ग्राम डांडगांव— समर्थन है।
1131. श्री धरमराज यादव, ग्राम घाटबर्वा—अदानी माईनिंग के द्वारा बेरोजगारी दूर की गई है। कौशल विकास के तहत आइ.टी.ई. खोला गया है। अदानी का समर्थन करता हूं
1132. श्रीमती मुन्नी बाई, ग्राम चारपारा —समर्थन है।
1133. श्रीमती उजियारो बाई, ग्राम चारपारा — विरोध है।
1134. श्रीमती बुधनी बाई, ग्राम चारपारा— विरोध करती हूं।
1135. श्री अमर साय, ग्राम हरिहरपुर — जन सुनवाई का विरोध करता हूं।
1136. श्रीमती मौसमी विश्वास, ग्राम तारा— परसा कोल ब्लॉक का समर्थन करती हूं।
1137. कु. बीना सिंह, ग्राम तारा—कोल माईन को पूरी तरह से समर्थन देती हूं एवं एक निवेदन है कम्प्यूटर क्लास एवं कोचिंग क्लास चाहिए।
1138. श्रीमती सुनीता, ग्राम तारा— जन सुनवाई को समर्थन करती हूं
1139. कु. पूनम यादव, ग्राम तारा— खदान का समर्थन है।
1140. श्री अमृत सिंह, ग्राम तारा— समर्थन है।
1141. श्री विजेन्द्र सिंह, ग्राम शिवनगर— जन सुनवाई का समर्थन है।
1142. श्री हरीराम, ग्राम बासेन — मांग है कि सभी 18 साल के युवको को नौकरी दिया जाये।
1143. श्री जयपाल तिर्की, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1144. श्री नारायण राम, ग्राम सलका— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1145. श्री कल्याण सिंह, ग्राम घाटबर्वा — कार्यवाही का समर्थन है।

1146. श्री महाराज सिंह, ग्राम षिवनगर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1147. श्री रमाकांत प्रधान, ग्राम सोनतरई—अदानी पावर प्लांट को जन जन के सहयोग की जरूरत है। उदयपुर मे जल छिड़काव किया जाता है। मेरा समर्थन है।
1148. श्री शिवप्रकाश यादव, ग्राम घाटबर्वा— समर्थन है।
1149. श्री चंगू, ग्राम तारा— विरोध है।
1150. श्री सतीष मारकंडे, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1151. श्री संदीप तिग्गा, ग्राम झींगाझरिया— समर्थन है।
1152. श्री परदेशी ग्राम चारपारा— मेरा पट्टा नहीं बन रहा है।
1153. श्री शिवदयाल मरकाम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1154. श्री संजय मिश्रा, ग्राम घाटबर्वा — प्राथमिक आवश्यकता बिजली है। हमारे यहां कोयला से बिजली बनेगी। कुछ निश्चित क्षेत्र मे कोयला मिलता है। यहां के कोयला से बिजली बनेगी। कोई दिक्कत नही है। समर्थन है।
1155. श्री मंगत राम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1156. श्रीमती ललीता, ग्राम तारा — समर्थन है।
1157. श्री कैलाश, ग्राम परोगिया — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1158. श्री महेन्द्र, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1159. श्री विजय यादव, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1160. श्रीमती बुधमनिया, ग्राम परोगिया — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1161. श्री मनोज यादव, घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1162. श्री प्रभुदयाल यादव, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1163. श्री दिनेश यादव, ग्राम डांडगाव — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1164. श्री नरेश एक्का, ग्राम झींगाझरीया — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1165. श्री पिंटु यादव, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1166. श्री जगरोपण, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1167. श्री शांति कुमार तिर्की, ग्राम परसा — समर्थन है।
1168. श्री शेखर तिर्की, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
1169. श्री सशील यादव, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1170. श्री जयराम सिंह, ग्राम परोगिया — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1171. श्री छत्तर साय ग्राम जर्नादनपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1172. श्री कृष्णा, ग्राम साल्ही — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1173. श्री धरमजीत, ग्राम साल्ही — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1174. श्री शिव मंगलराम, ग्राम फतेहपुर —संपर्क है।
1175. श्री महावीर, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1176. श्री किशोर, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1177. श्री राहुल, ग्राम बासेन— समर्थन है।
1178. श्री सजन, ग्राम परसा — समर्थन है।
1179. श्रीमती देवमुनी, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।
1180. श्री राजेश तिर्की, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।
1181. श्री दानवीर, ग्राम बासेन — कंपनी का समर्थन करता हूं।
1182. श्री संतोष, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1183. श्री भोलेनाथ, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।

1184. श्रीमती ऋतु शर्मा, ग्राम उदयपुर — कोल माईन योजना का समर्थन है।
1185. श्री समय लाल, ग्राम जर्नादनपुर — विरोध है।
1186. श्री देवधर, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1187. श्री रामरतन, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1188. श्रीमती गनेश्वर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1189. श्री उजियार सिंह, ग्राम डांडगाव— विरोध है क्योंकि आंकलन रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। जैव विविधता को लिखा नहीं है। यहां विकास के नाम पर बड़े बड़े डिंढोरे पिट रहे हैं। मैं विरोध करता हूँ।
1190. श्री शिवशंकर, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1191. श्री सरतराम, ग्राम साल्ही — रद्द करता हूँ। जमीन नहीं दूंगा। कंपनी ने मुझे धोखा दिया है। प्रलोभन देता है।
1192. श्री जय मंगल सिंह करियाम, ग्राम साल्ही — विरोध करता हूँ।
1193. श्री सिंह, ग्राम कांटारौली — विरोध है।
1194. श्री जेठराम, ग्राम कांटारौली — विरोध करता हूँ। अदानी वालों का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग 5 बार कांटारौली में चक्का जाम किया तब जाकर 1 किमी रोड बना है। विरोध करता हूँ।
1195. श्री बरन सिंह, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1196. श्री हरिलाल, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1197. श्री चन्द्रमा, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1198. श्री धरमसाय, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1199. श्री सहदूरा, ग्राम कांटारौली — हम सहमत नहीं हैं।
1200. श्री मनी राम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1201. श्री आगर साय, ग्राम घाटबर्वा — फुल समर्थन है।
1202. श्री दिलीप कुमार, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1203. श्री शंकर, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1204. श्री रतन सिंह, ग्राम कांटारौली — अदानी को समर्थन नहीं दे रहे हैं।
1205. श्री बागेश्वर, ग्राम कांटारौली — जमीन नहीं देंगे।
1206. श्री जगनारायण, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1207. श्री अखिलेश, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1208. श्री विकास, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1209. श्री देवनारायण, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1210. श्री धरमपाल, ग्राम रघुनाथपुर — समर्थन है।
1211. श्री नरेश, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1212. श्री रामायण सिंह, ग्राम साल्ही — नदी में मछली नहीं मिल रहा है। विरोध है।
1213. श्री राम सिंह, ग्राम नवापारा — समर्थन है।
1214. श्री जय केमार, ग्राम तारा — समर्थन है।
1215. श्री वेदान सिंह, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1216. श्री सुखी सिंह, ग्राम साल्ही — विरोध है।
1217. श्री महादेव, ग्राम बकोई — समर्थन है।
1218. श्री सुनील, ग्राम परसा — समर्थन है।
1219. श्री बिरजु, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।



1220. श्री सुखसाय, ग्राम घाटबर्वा — सपोर्ट है।
1221. श्री महमी सिंह, ग्राम तारा, — समर्थन है।
1222. श्री राम सिंह मरावी, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
1223. श्री मुन्नाराम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन करता हूँ।
1224. श्री लाल सिंह, ग्राम प्रेमनगर — समर्थन है।
1225. श्री मदन, ग्राम रघुनाथपुर — समर्थन है।
1226. श्री प्रकाश इकरे, ग्राम परसा — समर्थन है।
1227. श्री जगपाल, ग्राम तारा — संपर्क है।
1228. श्री दुल्लुराम, ग्राम घाटबर्वा — संपर्क है।
1229. श्री गुलाब राम, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1230. श्री केवल राम, ग्राम रिजनबहरा — समर्थन है।
1231. श्री विकास, ग्राम परसा — कोल माईस का समर्थन है।
1232. श्री रमेश बंजारा, ग्राम रघुनाथपुर— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1233. श्री कोदू राम, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1234. श्री दयाराम साहू, ग्राम प्रेमनगर — समर्थन है।
1235. श्री तुलेश्वर, ग्राम बासेन —लोक सुनवाई को समर्थन करता हूँ।
1236. श्री राम सिंह, ग्राम तारा — समर्थन है।
1237. श्री रामकेश्वर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1238. श्री बागर सिंह, ग्राम घाटबर्वा — विरोध है।
1239. श्री जनेन्दर सिंह पोर्ते, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ।  
कारण है कि कोर जोन में पायी जाने वाली जाति को छुपाये है। स्तनधारी भी छुपाये गये हैं। तेन्दु पत्ता और महुआ से जो आमदनी होती थी इस खदान के खुलने से बंद हो जायेगा। जिसके भरपाई कर पाना नामुमकिन है। आपने नाला भी छिपाया है जबकि कई नाला इस क्षेत्र से निकल रही है। ये कैसा विकास है जहां किसी को उजाड़ के विकास हो रहा हो। मैं विरोध करता हूँ।
1240. श्री मुनेश्वर, ग्राम फतेहपुर — विरोध करता हूँ।
1241. श्री ठाकुर मरकाम, ग्राम चंदननगर — जय हिन्द
1242. श्री समयलाल मरकाम, ग्राम फतेहपुर —विरोध
1243. श्री ठाकुर प्रसाद, ग्राम चुदननगर — समर्थन है।
1244. श्री आनंद यादव, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का विरोध करता हूँ। प्रदूषण हो रहा है।
1245. श्री जगताराम, ग्राम जर्नादनपुर — अदानी का समर्थन है।
1246. श्री रामरतन सिंह, ग्राम घाटबर्वा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1247. श्री पुनेश्वर यादव, ग्राम परसा — समर्थन है।
1248. श्री बसंत राम, ग्राम तारा — समर्थन है।
1249. श्री अशोक सिंह पोर्ते, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1250. श्री जयनंदन, ग्राम खोंदला — समर्थन है।
1251. श्री लगन साय, ग्राम परसा — समर्थन है।
1252. श्री प्रेमसाय, ग्राम जर्नादनपुर — विरोध है।
1253. श्री अनुज तिर्की, ग्राम तारा — अदानी को समर्थन है।
1254. श्री कृस्टोफर,ग्राम घाटबर्वा — अदानी को समर्थन है।

1255. श्री गणेश तिर्की, ग्राम बासेन — अदानी को समर्थन है।
1256. श्री अनिल मिंज, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1257. श्री दिनेश तिर्की, ग्राम बकोई— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1258. श्री जय सिंह, ग्राम बकोई — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1259. श्री राजेश तिर्की, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1260. श्री किताब, ग्राम केते— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1261. श्री अंबिका, ग्राम बासेन — अदानी को समर्थन है।
1262. श्री समन सिंह, ग्राम केते— 5 वी तक पढ़ा हू। जॉब नहीं दिया है। संपर्क करता हूँ।
1263. श्री रमेश तिर्की, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1264. श्री मनोज, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1265. श्री रविकुमार, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1266. श्री अशोक, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1267. श्री धनेश्वर, ग्राम परसा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1268. श्री बबलु, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1269. श्री फनेश्वर, ग्राम जर्नादनपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1270. श्री दीपक, ग्राम बासेन — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1271. श्री राधेश्याम, ग्राम जर्नादनपुर — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1272. श्री जगसाय, ग्राम बासेन— लोक सुनवाई का समर्थन है।
1273. श्री सुतराम, ग्राम जर्नादनपुर — संपर्क है।
1274. श्री राजा, ग्राम जर्नादनपुर — संपर्क है।
1275. श्री रामप्रसाद, ग्राम जर्नादनपुर — संपर्क है।
1276. श्री पूरन सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — संपर्क है।
1277. श्री गुलशन जायसवाल, ग्राम बचरापोड़ी —समर्थन है।
1278. श्री दया, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1279. श्री सुकुलराम, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1280. श्री अनिल, ग्राम परसा —समर्थन है।
1281. श्री बंधुराम, ग्राम परसा —समर्थन है।
1282. श्री राजेश, ग्राम परसा —समर्थन है।
1283. श्री कुन्नुराम, ग्राम चचेरी —समर्थन है।
1284. श्री कमलसाय, ग्राम जर्नादनपुर — असमर्थन है।
1285. श्री शिवकुमार, ग्राम जर्नादनपुर—समर्थन है।
1286. श्री हरिप्रसाद, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1287. श्री छतरसाय, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1288. श्री धनसिंह, ग्राम बतोई —समर्थन है।
1289. श्री नन्दुराम, ग्राम बतोई —समर्थन है।
1290. श्री लोमुवाराम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1291. श्री शिवमंगल सिंह, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1292. श्री संजय, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1293. श्री घासीराम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1294. श्री जगतपाल, ग्राम परसिया — समर्थन है।

1295. श्री रूपसाय पोर्ते, ग्राम —समर्थन है।
1296. श्री धनीराम, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1297. श्री मनमोहन, ग्राम बटकोई — समर्थन है।
1298. श्री बिरबल, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1299. श्री सुरेन्द्र दास, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1300. श्री चंदन राम, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1301. श्री कमलेश सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1302. श्री हीरालाल टेकाम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1303. श्री इन्दर, ग्राम झिंगाझरीया —समर्थन है।
1304. श्री चुन्नु राम, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1305. श्री मंगल, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1306. श्री शंकर प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1307. श्री कमलेश्वर प्रसाद, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1308. श्री सीताराम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1309. श्री तेजुराम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1310. श्री इंदरराम, ग्राम — समर्थन है।
1311. श्री जीवमंगल सिंह, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
1312. श्री हीरालाल, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
1313. श्री भोलेराम ग्राम झिंगाझरिया — समर्थन है।
1314. श्री साधुराम, ग्राम झिंगा झरीया —समर्थन है।
1315. श्री राम कुमार, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1316. श्री बहोर साय, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
1317. श्री अनुप सिंह, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
1318. श्री तुलेश्वर, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
1319. श्री लोकरी, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1320. श्री अगर साय, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
1321. श्री सियालाल, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1322. श्री बिधेश्वर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1323. श्री राम प्रसाद ,ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1324. श्री सुरेन्द्र, ग्राम परसा — समर्थन है।
1325. श्री अमर साय ग्राम तारा — असमर्थन है।
1326. श्री रामसुख, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1327. श्री बेचनदास, ग्राम मिटकी — जन सुनवाई का समर्थन है।
1328. श्री कमलेश, ग्राम परसा — समर्थन है।
1329. श्री पारसनाथ, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1330. श्री मनहरण, ग्राम बासेन— समर्थन है।
1331. श्री उदानी, ग्राम परसा — समर्थन है।
1332. श्री गौतम, ग्राम चंदननगर — समर्थन है।
1333. श्री अनुपराम, ग्राम परसा — समर्थन है।
1334. श्री प्रीतम, ग्राम प्रेमनगर — समर्थन है।
1335. श्री शरद यादव, ग्राम परसा — समर्थन है।

1336. श्री निर्मल, ग्राम परसा — समर्थन है।
1337. श्री राजु, ग्राम परसा — समर्थन है।
1338. श्री शशि कुमार, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1339. श्री आलोक, ग्राम बासेन— समर्थन है।
1340. श्री उदयलाल यादव, ग्राम घाटबर्वा— जनसुनवाई का समर्थन करता हूं। यहां एक भी भालू नहीं है। यहां एक भी जंगल नहीं है।
1341. श्री ओमप्रकाश एक्का, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1342. श्री जय सिंह, ग्राम केते — समर्थन है।
1343. श्री प्रेम, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1344. श्री सुमित राम प्रजापती, ग्राम खुरसुरा —समर्थन है।
1345. श्री अमित एक्का, ग्राम परसा— समर्थन है।
1346. श्री कमलेश, ग्राम परसा—समर्थन है।
1347. श्री हरिवंश सिंह, ग्राम पैकरा—समर्थन है।
1348. श्री सुदामा, ग्राम परसा—समर्थन है।
1349. श्री विनोद कुमार, ग्राम परसा—समर्थन है।
1350. श्री जयराम यादव, ग्राम साल्ही —समर्थन है।
1351. श्री बुधराम मरकाम, ग्राम जर्नादनपुर—समर्थन है।
1352. श्री मनराम पैकरा, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1353. श्री सोमार साय, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1354. श्री राधे कुमार एक्का, ग्राम परसा—समर्थन है।
1355. श्री लव कुमार ,ग्राम परसा—समर्थन है।
1356. श्री राजभानसिंह, ग्राम परसा—समर्थन है।
1357. श्री प्रेम नेटी, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
1358. श्री रामलखन, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
1359. श्री जवाहरलाल, ग्राम शिवनगर—समर्थन है।
1360. श्री सनकराम, ग्राम साल्ही — वन अधिकार मिलना चाहिए। विरोध है।
1361. श्री जुगश्वर प्रसाद, ग्राम रघुनाथपुर —समर्थन है।
1362. श्री जहागीर, ग्राम शिवनगर —समर्थन है।
1363. श्री संतोष सिंह, ग्राम रघुनाथपुर— समर्थन है।
1364. श्री सत्यनारायण सिंह उके, ग्राम शिवनगर, —समर्थन है।
1365. श्री कमलेश कुमार यादव, ग्राम प्रेमनगर—समर्थन है।
1366. श्री गनेश्वर, ग्राम शिवनगर — समर्थन है।
1367. श्री मोटूराम अगरिया, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1368. श्री दशरथ, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1369. श्री ठाकुर, ग्राम साल्ही — विरोध
1370. श्री उमेश कुमार, ग्राम प्रेमनगर — समर्थन है।
1371. श्री कुटदयाल, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1372. श्री नरेन्द्र, ग्राम रघुनाथनगर — समर्थन है।
1373. श्री टोपेन्द्र, ग्राम रघुनाथपुर —समर्थन है।
1374. श्री रवि कुमार, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1375. श्री रामबली ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।

1376. श्री बलुकराम, ग्राम सुस्तम —समर्थन है।
1377. श्री असरफ अली, ग्राम तारा —समर्थन है।
1378. श्री महेश्वर, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1379. श्री सौकत, ग्राम तारा — खदान का समर्थन है।
1380. श्री सोनु, ग्राम तारा — लोक सुनवाई का समर्थन है।
1381. श्री रूपन सिंह, ग्राम तारा — जन सुनवाई का समर्थन करता हूं।
1382. श्री जमना लाल सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1383. श्री सेहत राम ग्राम —समर्थन है।
1384. श्री ठाकुर जनार्दनपुर—समर्थन है।
1385. श्री अशोक, ग्राम परसा — — समर्थन है।
1386. श्री शिवशंकर, ग्राम तारा — समर्थन है।
1387. श्री सूरजबली, ग्राम तारा — समर्थन है।
1388. श्री शिवराम, ग्राम नवापारा — समर्थन है।
1389. श्री इंजोर साय, ग्राम तारा — अदानी का समर्थन है।
1390. श्री धनीराम, ग्राम सलका — कंपनी का समर्थन है।
1391. श्री विश्वनाथ, ग्राम जर्नादनपुर — जन सुनवाई का समर्थन है।
1392. श्री राम खेलावन, ग्राम परसा — समर्थन है।
1393. श्री मोजराम, ग्राम सालही — विरोध है।
1394. श्री सुखसाय, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1395. श्री फेकुराम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1396. श्री तुलेश्वर, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1397. श्री दयाराम, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1398. श्री बुधराम, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1399. श्री बलीराम, ग्राम फतेहपुर — विरोध है।
1400. श्री रघुनाथ, ग्राम फतेहपुर — शिकायत का निराकरण करे। — समर्थन है।
1401. श्री विजय, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1402. श्री शिव सिंह, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1403. श्री दिनेश, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1404. श्री गौतम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1405. श्री सुन्दर, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1406. श्री अर्जुन सिंह, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1407. श्री सुखसाय, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1408. श्री मनोसाय, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1409. श्री राम सिंह, ग्राम तारा — समर्थन है।
1410. श्री ठाकुर सिंह, ग्राम फतेहपुर — इस सुनवाई का समर्थन है।
1411. श्री इन्द्रजीत, ग्राम घाटबर्वा — जन सुनवाई का समर्थन है।
1412. श्री तिलक, ग्राम खेंदला — इस जन सुनवाई का समर्थन है।
1413. श्री राशीराम, ग्राम खोंदला — संपर्क है।
1414. श्री चन्द्रपाल, ग्राम खोंदला — अदानी का समर्थन है।
1415. श्री सुखराम, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।

1416. श्री गणेशराम, ग्राम घाटबर्वा — अदानी चाहती है गरीब के यहा चुल्हा जला रहा है। गरीब बच्चों के लिए इंग्लीष मिडीयम स्कूल खोला गया है। अदानी को समर्थन करते है।
1417. श्री मनोहर, ग्राम घाटबर्वा — अदानी का समर्थन है।
1418. श्री सुमार साय, ग्राम खोंदला — खुश रहता हूँ।
1419. श्री अमेन्द्र शर्मा, ग्राम तारा — समर्थन है।
1420. श्री कृष्ण गौतम, ग्राम खेंदला — समर्थन है।
1421. श्री लखन लाल देवांगन, ग्राम तारा — समर्थन है। अदानी मे नौकरी दिया जाये।
1422. श्री नरेन्द्र, ग्राम खोंदला — समर्थन है।
1423. श्री राम विलास, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1424. श्री गिरिजा प्रसाद, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1425. श्री गनपती, ग्राम घाटबर्वा — संपर्क है।
1426. श्री फिरोज खान, ग्राम तारा — समर्थन है।
1427. श्री खेलसाय, ग्राम खोंदला — समर्थन है।
1428. श्री संजय कुमार, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1429. श्री अलरिक तिर्की, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1430. श्री सिद्दकी, ग्राम तारा — समर्थन है।
1431. श्री नरेश, ग्राम घाटबर्वा — परसा खदान को समर्थन है।
1432. श्री अखिलेश उपाध्याय, ग्राम तारा — परसा खदान को समर्थन है।
1433. श्रीप्रसाद, ग्राम तारा — समर्थन है।
1434. श्री अजय सिंह, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1435. श्री धरमसाय गोई—समर्थन है।
1436. श्री शेरसिंह, ग्राम गिदमुडी —समर्थन है।
1437. श्री अंबिका सिंह, ग्राम गोई —समर्थन है।
1438. श्री राम सिंह, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1439. श्री पवन, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1440. श्री ऋषभ प्रजापति, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1441. श्री सुमार दास, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1442. श्री गुरु सिंह, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
1443. श्री शिवकुमार पैकरा, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1444. श्री श्रीभान, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1445. श्री ललन, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1446. श्री बलराम प्रजापती, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1447. श्री हीराचंद, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1448. श्री फनेश्वर, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1449. श्री शिवप्रसाद, ग्राम खोंदला —समर्थन है।
1450. श्री नंद लाल तिर्की ग्रामघाट—समर्थन है।
1451. श्री जाकिर अली, ग्राम तारा —विरोध
1452. श्री ननका प्रसाद, ग्राम तारा—समर्थन है।
1453. श्री प्रेम सिंह, ग्राम केते—समर्थन है।
1454. श्री प्रेम सिंह पोर्ते, ग्राम केते—समर्थन है।

1455. श्री चैगीर पोर्ते, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1456. श्री राजीव, ग्राम तारा —समर्थन है।
1457. श्री विकास सिंह, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1458. श्री करम सिंह, ग्राम तारा — विरोध है।
1459. श्री जगसाय, ग्राम जर्नादनपुर — समर्थन है।
1460. श्री तुलेश्वर सिंह, ग्राम खोंधला — समर्थन है।
1461. श्री बुद्धदेव सिंह, ग्राम तारा — विरोध है।
1462. श्री हीरानाथ, ग्राम तारा —विरोध है।
1463. श्री दुखुराम, ग्राम तारा — कोयला चालू रहे।
1464. श्री देवीगीर, ग्राम तारा — संपर्क है।
1465. श्री हरि नंदन, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1466. श्री सुखपम, ग्राम खोंधला — समर्थन है।
1467. श्री छत्तर तिर्की — संपर्क
1468. श्री बुद्धीमान उइके, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1469. श्री भुवनेश्वर, ग्राम तारा — समर्थन है।
1470. श्री अमृतदास, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1471. श्री मंगल पोर्ते, ग्राम फतेहपुर — आज मांग कर रहा हूँ।
1472. श्री मोरसाय, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1473. श्री सुनत, ग्राम परसा — मै फायर ब्रिगेड मे काम करता हूँ।
1474. श्री अमर यादव, ग्राम परसा — जन सुनवाई का समर्थन करना चाहता हूँ।
1475. श्री रूपसाय, ग्राम घाटबर्बा — अदानी का संपर्क है।
1476. श्री राम पटेल, ग्राम घाटबर्बा — समर्थन है।
1477. श्री अमरसाय, सरपंच पेण्डरखी — समर्थन है।
1478. श्री शिवमंगल, ग्राम मेण्ड्रा — समर्थन है।
1479. श्री भुनेश्वर सिंह, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1480. श्री मोहर साय, ग्राम पेण्डरखी — समर्थन है।
1481. श्री मदन सिंह, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1482. श्री घुरन, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1483. श्री पोर्ते, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1484. श्री राजकुमार, ग्राम पेण्डरखी — समर्थन है।
1485. श्री पन्नालाल यादव, ग्राम घाटबर्बा — समर्थन है।
1486. श्री नोहर साय, ग्राम पेण्डरखी—समर्थन है।
1487. श्री राजू सिंह, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1488. श्री पंजू राम, ग्राम पेण्डरखी —समर्थन है।
1489. श्री नान साय, ग्राम फतेहपुर — समर्थन है।
1490. श्री कमलसाय, उपसरपंच ग्राम पेण्डरखी —समर्थन है।
1491. श्री अनू सिंह, ग्राम फतेहपुर—समर्थन है।
1492. श्री राजकुमार, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
1493. श्री जय पाल सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
1494. श्री जगेश्वर सिंह, ग्राम जर्नादनपुर —समर्थन है।
1495. श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।

1496. श्री नान साय, ग्राम घाटबर्वा — समर्थन है।
1497. श्री चमरसाय बासेन—समर्थन है।
1498. श्री गणेश राम, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1499. श्री शिवनारायण, ग्राम फतेहपुर —संपर्क है।
1500. श्री मोतीलाल, ग्राम तारा — समर्थन है।
1501. श्री दीपक यादव, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1502. श्री बबलुराम, ग्राम तारा —समर्थन है।
1503. श्री शिवलाल, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1504. श्री हीरमन एक्का, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1505. श्री जयपाल, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1506. श्री श्याम लाल, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1507. श्री पुनीत, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1508. श्री नरेश राम, ग्राम बासेन —समर्थन है।
1509. श्री राम, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1510. श्री बनारसी, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1511. श्री मनीराम, ग्राम केते—समर्थन है।
1512. श्री सपन, ग्राम केते — समर्थन है।
1513. श्री बादल साय, ग्राम खोंधला — समर्थन है।
1514. श्री राम परोगिया — समर्थन है।
1515. श्री मुन्नालाल, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1516. श्री मनत राम, ग्राम परोगिया —समर्थन है।
1517. श्री सुरेन्द्र दास, ग्राम तारा—समर्थन है।
1518. श्री भैयाचंदन, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1519. श्री पंकज कुमार तिवारी, ग्राम तारा— पहला लिस्ट मे मेरे पिता का नाम था।  
मुआवजा नहीं मिला है। समर्थन है।
1520. श्री कलाम, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1521. श्री रघुनाथ, ग्राम तारा—समर्थन है।
1522. श्री सलमान कुमार, ग्राम बासेन — समर्थन है।
1523. श्री रितेश, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1524. श्री नरेन्द्र, ग्राम तारा—समर्थन है।
1525. श्री रूप साय, ग्राम तारा—समर्थन है।
1526. श्री हरी पाण्डेय, ग्राम तारा—समर्थन है।
1527. श्री अनिल, ग्राम तारा—समर्थन है।
1528. श्री गनीमन सिंह, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1529. श्री बृजमोहन, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1530. श्री दिनेश्वर, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1531. श्री सुमार सिंह, ग्राम — समर्थन है।
1532. श्री अजय, ग्राम बासेन —विरोध है।
1533. श्री विक्की, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1534. श्री बिगू, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1535. श्री निखिल राजा, ग्राम बासेन —समर्थन है।



1536. श्री धनी, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1537. श्री हुकुम, ग्राम बासेन—समर्थन है।
1538. श्री राजकुमार, ग्राम बासेन —समर्थन है।
1539. श्री चुटुन, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1540. श्री जमुना प्रसाद पटेल, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1541. श्री दिगम्बर यादव, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1542. श्री आलोक साय, ग्राम मेण्ड्रा—समर्थन है।
1543. श्री बृज लाल, ग्राम मेंडा—समर्थन है।
1544. श्री सासुरराम, ग्राम मेण्ड्रा — समर्थन है।
1545. श्री रमेश यादव ग्राम, घाटबर्वा—समर्थन है।
1546. श्री गंगा राम ठाकुर, ग्राम घाट—समर्थन है।
1547. श्री फलेष्वर सिंह, ग्राम मेंडा—समर्थन है।
1548. श्री सुखदास, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1549. श्री अनु पटेल, ग्राम प्रेमनगर—समर्थन है।
1550. श्री रवि यादव, ग्राम उदयपुर—समर्थन है।
1551. श्री छत्तरधारी यादव, ग्राम घाट—समर्थन है।
1552. श्री जनकराम, ग्राम घाट—समर्थन है।
1553. श्री करम साय, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
1554. श्री जग सिंह, ग्राम मेण्ड्रा—समर्थन है।
1555. श्री आलम साय, ग्राम परोगिया — समर्थन है।
1556. श्री तुलेश्वर उके, ग्राम मेण्ड्रा —समर्थन है।
1557. श्री नानू राम, ग्राम सलका— अदानी के आने से बहुत सुविधा प्राप्त हुई है।  
समर्थन है।
1558. श्री जय सिंह, ग्राम रधुनाथपुर —समर्थन है।
1559. श्री सुमारसाय, ग्राम परोगिया—समर्थन है।
1560. श्री अनुप कुमार, ग्राम चंदननगर—समर्थन है।
1561. श्री गोविंद पोर्ते, ग्राम फतेहपुर —समर्थन है।
1562. श्री हीरालाल यादव, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1563. श्री सूफी अंसारी, घाटबर्वा —समर्थन है।
1564. श्री राम प्रवेश, ग्राम साल्ही— विरोध है।
1565. श्री हितेन्द्र कुमार ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1566. श्री पंचराम, ग्राम तारा —समर्थन है।
1567. श्री जय सिंह, ग्राम तारा—समर्थन है।
1568. श्री देवनारायण प्रजापती, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1569. श्री दीनदयाल, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1570. श्री रतीराम, ग्राम घाटबर्वा —समर्थन है।
1571. श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम घाटबर्वा — विरोध है।
1572. श्री जय सिंह, ग्राम साल्ही— विरोध है। साल्ही को कुछ नहीं दिया है। जमीन नहीं देंगे। विरोध है।
1573. श्री बालम सिंह, ग्राम घाटबर्वा—समर्थन है।
1574. श्री सुभाष, ग्राम परसा — समर्थन है।

1575. श्री गणेश यादव ग्राम परसा— समर्थन है।
1576. श्री मुंशी, ग्राम साल्ही — समर्थन है।
1577. मो. शरीफ, ग्राम परसा — समर्थन है।
1578. श्री कमला राम, ग्राम साल्ही —समर्थन है।
1579. श्री देवकुमार, ग्राम चंदननगर —समर्थन है।
1580. श्री परमेश्वर, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1581. श्री रमेश्वर सिंह, ग्राम साल्ही — विरोध।
1582. श्री चैतूराम, ग्राम साल्ही—विरोध है।
1583. श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1584. श्री चन्द्र सिंह, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1585. श्री रास सिंह पैकरा, ग्राम खोंधला —समर्थन है।
1586. श्री राजाराम यादव, ग्राम तारा—समर्थन है।
1587. श्री रामदेव पोर्ते, ग्राम साल्ही —समर्थन है।
1588. श्री सोमार साय, ग्राम तारा —समर्थन है।
1589. श्री बुद्धिमान सिंह पोर्ते, ग्राम साल्ही —विरोध करना चाहता हूं।
1590. श्री मंगल साय, ग्राम पंपापुर — समर्थन है।
1591. श्री रमेश्वर सिंह, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1592. श्री राजेश राजवाडे, ग्राम करजी —समर्थन है।
1593. श्री नवल सिंह, ग्राम खोंधला—समर्थन है।
1594. श्री रामेश्वर यादव, ग्राम घाटबर्गा—समर्थन है।
1595. श्री बबलू यादव, ग्राम साल्ही—समर्थन है।
1596. श्री प्रजापती, ग्राम पंपापुर — समर्थन है।
1597. श्री योगेश — समर्थन है।
1598. श्री ठाकुर, ग्राम हरिहरपुर — विरोध है।
1599. श्री अमरेश, ग्राम फतेहपुर—विरोध करता हूं।
1600. श्री राम प्रताप, ग्राम घाटबर्गा — विरोध है।
1601. श्री अमलेश, ग्राम पंपापुर —विरोध करता हूं।
1602. श्री विजय, ग्राम तारा—समर्थन है।
1603. श्री सुरेन्द्र कुमार साहू, ग्राम प्रेमनगर—समर्थन है।
1604. श्री मरकाम, ग्राम तारा—समर्थन है।
1605. श्री हीतराम टेकाम, ग्राम तारा—विरोध है।
1606. श्री शंकर, ग्राम तारा— विरोध
1607. श्री शिवनाथ ग्राम डांडगांव—समर्थन है।
1608. श्री मोहन सिंह, मरकाम ग्राम —विरोध है।
1609. श्री संजू, ग्राम घाटबर्गा —समर्थन है।
1610. श्री रामलाल सिंह करियाम — परसा ईस्ट केते बासेन परियोजना द्वारा शर्तो का पालन आज तक नहीं किया गया है। निरस्त करने योग्य है। छः साल हो गये अभी तक पॉवर प्लांट नहीं लगाया है। नदी में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, विरोध है।
1611. श्री चंद्रभान, ग्राम साल्ही—विरोध करता हूं
1612. श्री बुधराम, ग्राम तारा —समर्थन है।

1613. श्री सत्रुधन यादव, ग्राम तारा —समर्थन है।  
 1614. श्री भरत यादव, ग्राम परसा—समर्थन है।  
 1615. श्री छोटेलाल, ग्राम परसा—समर्थन है।  
 1616. श्री मनोज कुमार, ग्राम परसा—समर्थन है।  
 1617. श्री राजभवन मिश्रा, ग्राम परसा —समर्थन है।  
 1618. श्री सुखदास, ग्राम तारा—समर्थन है।  
 1619. श्री सुखनाथ सिंह नेताम, ग्राम तारा— बच्चों के लिए समर्थन है।  
 1620. श्री वीर सिंह नेताम, ग्राम तारा — समर्थन है।  
 1621. श्री श्याम बहादुर, ग्राम तारा —समर्थन है।  
 1622. श्री मनीष पाण्डे, ग्राम उदयपुर— अडानी के द्वारा पेड पौधों को काटा जा रहा है उससे चार गुना अधिक पौधा लगाया जाये।  
 1623. श्री मोहित राम नेताम, ग्राम तारा —समर्थन है।  
 1624. श्री कौशिक, ग्राम डांडगांव — न समर्थन है और न ही विरोध है। घर में रहने में तकलीफ हो रही है। हमारे घर में धूल उड़ता है। 10 बार पानी मारना पड़ता है। अपने को धूल नहीं चाहिए।  
 1625. श्री चंद्रभान सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, ग्रामपंचायत तारा —तहे दिल से धन्यवाद करता है। समर्थन है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद उपस्थित जन समुदाय में से जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग रात्रि 11:10 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री प्रकाश इसरानी, डिप्टी चीफ इंजीनियर द्वारा उद्योग के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग रात्रि 11:20 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 965 सुझाव/विचार/टीका— टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुईं। लोक सुनवाई के दौरान 1625 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका—टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका—टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 2000 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 590 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी  
 सूरजपुर, जिला—सूरजपुर (छ.ग.)

